कृषि चौपाल

कृषि मूलम् जगत् सर्वम्

आरएनआई पंजी. संख्या
डीईएलएचआईएन/2007/20953

वर्ष-8, अंक-6
सितंबर 2015

₹15

कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित हिन्दी मासिक पत्रिका

- ऐसे तो खंडित हो जाएगी लोकतंत्र की गरिमा
- सवाल एक तिहाई आबादी का
- कृषि को लाभकारी बनाने के उपाय
- कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं एवं शिक्षा
- मवेशियों की नस्ल और चुनाव
- पानी चाहिए तो हिमालय बचाना होगा

खेतीबाड़ी के लिए बैंकिंग सुविधा

गन्ने की खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां

कृषि मूलम् जगत् सर्वम्

कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित हिन्दी मासिक पत्रिका

कृषि क्षेत्र भीषण संकट के दौर से गुजर रहा है। विसंगति यह है कि वर्तमान में यह आगे बढ़ने के बजाय दिनोंदिन पीछे जा रहा है। अब तो ग्रामीण लोगों का भी खेती-किसानी से मोह भंग-सा हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही खेती-किसानी आज अत्यंत उपेक्षित हो चली है। खासकर भारत जब ब्रिटिश उपनिवेश बना तभी से भारतीय कृषि तथा इससे जुड़े उद्योग-धंधे धीरे-धीरे उपेक्षित होते चले गये। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह उपेक्षा और तिरस्कार जारी रहा। भले ही भारत में हरित क्रांति का दौर रहा हो, इसके बावजूद भारत के उन लोगों की दशा अत्यंत दीन-हीन हो चुकी है जो कि रोजगार के लिए कृषिक्षेत्र पर निर्भर हैं। यही वजह है कि लोग आये दिन खेती-किसानी त्याग रहे हैं। हालात ऐसे ही रहे तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली खतरे में पड़ सकती है।

कृषिक्षेत्र के प्रति सरकारों की उदासीनता और किसानों के मोहभंग के कारणों की पड़ताल तथा कृषिक्षेत्र के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का बीड़ा भी 'कृषि चौपाल' ने उठाया है। हमारी कोशिश है कि 'कृषि चौपाल' को सरकारों और किसानों तथा आम जनता के मध्य संवाद सूत्र के रूप में विकसित किया जा सके। हमारी इस कोशिश में हम आपसे भी सक्रिय और सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशन की दर

कवर: अग्रिम भीतरी पृष्ठ	रु. 35,000
कवर: अंतिम बाहरी पृष्ठ	रु. 50,000
कवर: अंतिम भीतरी पृष्ठ	रु. 30,000
संपूर्ण पृष्ठ (कलर)	रु. 25,000
आधा पृष्ठ (कलर)	रु. 15,000
चौथाई पृष्ठ (कलर)	रु. 10,500
बॉक्स (कलर) 2.5X3.5''	रु. 5,000
संपूर्ण पृष्ठ (श्वेत-श्याम)	रु. 15,000
आधा पृष्ठ (श्वेत-श्याम)	रु. 10,000
दोहरा मध्य पृष्ठ (कलर)	रु. 35,000
दोहरा मध्य पृष्ठ (श्वेत-श्याम)	रु. 25,000

सदस्यता विवरण

वार्षिक सदस्यता - 180 रुपये

द्विवार्षिक सदस्यता - 350 रुपये

पंचवार्षिक सदस्यता - 750 रुपये

पत्रिका भारतीय डाक की बुक पोस्ट सुविधा के जरिये भेजी जाएगी।

संपादकीय कार्यालय

कृषि चौपाल

सी-355, तृतीय तल
गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर
दिल्ली-110092

संपर्क
+91 9910406059

ईमेल
krishichaupal@gmail.com

कृषि सुलभ, उन्नत, सर्वत्र

कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष-8 ❖ अंक-6 ❖ सितंबर 2015

संपादक
महेन्द्र सिंह बोरा

सहयोगी संपादक
ताज रावत

सहायक संपादक
मदन जलाल

विशेष संवाददाता
गणेश चन्द्र पांडे

डिजाइन
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स

वितरण एवं प्रसार
दलीप जीना

संपादकीय कार्यालय
कृषि चौपाल
सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9
वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092

संपर्क: +91 9910406059,
9716407931, 9211915538
ईमेल: krishichaupal@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक महेन्द्र सिंह बोरा द्वारा सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित और मयंक ऑफसेट प्रोसेस, 794/95 गुरु रामदास नगर एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 से मुद्रित।

'कृषि चौपाल' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार लेखकों की अपनी अभिव्यक्तियां हैं। संपादकीय मंडल का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

'कृषि चौपाल' में दिये गये विभिन्न उपचारों, सुझावों पर अमल करने पर यदि किसी को किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसके लिए 'कृषि चौपाल' को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सुझाये गये विभिन्न उपचारों और परामर्शों पर अमल करने से पूर्व संबंधित विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता दें।

किसी भी तरह के विवाद का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाले सक्षम न्यायालयों और फोरमों में ही किया जाएगा।

पत्रिका में प्रकाशित कुछ चित्र इंटरनेट से लिए गये हैं। हम उन सभी छायाकारों का आभार व्यक्त करते हैं।

आवरण चित्र साभार: medialabs.in

● उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं।

परिपक्व फैसला!

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर उत्पन्न शंकाओं को एक झटके से खत्म कर दिया। अंतत: उन्होंने यह घोषणा कर ही दी कि अब यह कथित विवादित अध्यादेश पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। इसी के साथ विगत वर्ष दिसंबर से चला आ रहा राजनीतिक विरोध भी थम गया। भूमि के वितरण और भू-संसाधनों के असमान स्वामित्व को छोड़कर सिर्फ राजनीति करने के लिए इस अध्यादेश का विरोध कर रही ताकतों को यह खुशफहमी होना लाजिमी है कि मौजूदा राजग सरकार महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों से पीछे हट रही है। वे अपनी खुशफहमी के पक्ष में यह तर्क दे सकते हैं कि संप्रग सरकार के 2013 के भूमि विधेयक को पुन: लागू करना इस बात का प्रमाण है कि मौजूदा सरकार आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर पीछे हट रही है। परंतु किसानों और भू-संसाधनों के असमान वितरण के सवालों को लेकर आंदोलित जनपक्षधर ताकतों के लिए यह एक पुनर्समीक्षा का अवसर है। यहां पर उनके पास ठहरकर सोचने-विचारने और आगे की रणनीति तय करने का समय है। साथ ही यह अभी तक विवादित कानून को लेकर चले आंदोलनों की समीक्षा का भी उचित अवसर है।

भूमि अधिग्रहण को लेकर सबसे पहला कानून 1894 में तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाया गया था। उसके बाद लगभग 120 वर्षों के अंतराल के बाद उसी कानून को थोड़ा फेरबदल कर भूमि विधेयक 2013 के नाम से पिछली संप्रग सरकार द्वारा लागू कर दिया गया था। सबसे पहला ज्वलंत प्रश्न तो यही है कि आखिर आजादी के 70 वर्षों के दौरान किसी भी सरकार को इस कानून को बदलने का ख्याल क्यों नहीं आया? हाल ही में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के नतीजों ने यह तथ्य उजागर किये हैं कि ग्रामीण भारत का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति भूमिहीन है। यदि समूचे भारत की बात करें तो देश की भू-संपदा का लगभग 48 फीसदी हिस्सा आठ प्रतिशत 'इंडियन' के कब्जे में है और शेष 92 प्रतिशत भारतीय सिर्फ 52 प्रतिशत भू-संपदा से अपना जीवनयापन कर रहे हैं। स्पष्ट है कि आज तक जो भी भूमि अधिग्रहण हुआ है, उससे वही तबका ज्यादा नुकसान में आया है जिसके पास पहले से ही कम भू-संपदा रही है। मौजूदा भूमि अध्यादेश के अध्याय के पटाक्षेप की घोषणा उसी राजनीतिक गुणाभाग से प्रेरित है, जिससे कि तत्कालीन भूमि अधिनियम-2013 को लागू करने की घोषणा प्रेरित थी।

दरअसल वर्तमान में संख्याबल में पिछड़ रही भाजपानीत राजग के पास राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत का अभाव है और बिहार चुनाव सिर पर हैं। साथ ही 2017 में उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली संप्रग सरकार ने भी अपने शासनकाल के आखिरी दिनों में बड़े जोर-शोर के साथ भूमि अधिग्रहण विधेयक-2013 लागू किया था। उसकी मंशा भी इस विधेयक की आड़ में किसानों का बहुमत साधने की थी। परंतु उसकी यह मंशा फलीभूत नहीं हो पायी। और अब राजग सरकार भी अपने स्वप्निल भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर यूटर्न लेकर 'बहुमत' का लक्ष्य संधान करने की तैयारी कर रही है।

यह सही है कि भूमि अध्यादेश के माध्यम से जिन प्रस्तावित संशोधनों को राजग सरकार अपने स्वप्निल भूमि अधिग्रहण कानून में शामिल करना चाहती थी उन संशोधनों को भी अब वापस लिया जा रहा है, परंतु मौजूदा सरकार किसानों, श्रमिकों तथा ग्रामीण भारत के प्रति इतनी रहमदिल होती तो फिर उस वादे का क्या हुआ जिसके अनुसार किसानों के लिए 50 फीसदी एमएसपी बढ़ोतरी की जानी थी। अभी हालांकि सातवें वेतन आयोग के लागू होने में काफी वक्त है, लेकिन केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी की घोषणाएं होने लगी हैं, परंतु मजदूरों और कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन पर सरकार की पहलकदमी सिरे से नदारद है।

दरअसल सवाल भू-संसाधनों के असमान वितरण को हल करने का है। यह कैसे संभव हुआ कि सिर्फ मुट्ठीभर लोग देश की आधी भू-संपदा के मालिक हो गये और देश की 92 प्रतिशत रिआया आज अपने पैरोंतले साये के नाप के बराबर भूमि पर भी मालिकाना हक के लिए तरस रही है। वर्तमान में इसके विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सवालों को लेकर आंदोलित संगठनों तथा किसान संगठनों को एकजुट होकर इन सवालों के जवाब तलाशने चाहिए। यह तय किया जाना चाहिए कि देश का कोई भी कानून देश की जनता की भलाई के लिए बनाया जायेगा, न कि उसकी संपदा की लूट के लिए।

महेन्द्र सिंह बोरा
संपादक

इस अंक में...

कृषि समाचार	02
ऐसे तो खंडित हो जाएगी लोकतंत्र की गरिमा	08
उम्मीदों का संबोधन	10
खाद्यान्न गिरावट से और बढ़ेगी महंगाई	11
सवाल एक तिहाई आबादी का	12
राजनीति का 'प्याज'	13
कृषि को लाभकारी बनाने के उपाय	14
पानी चाहिए तो हिमालय बचाना होगा	16
सरकारी स्कूल और सरकार	18
रेशम उत्पादन में चीन को चुनौती देता उत्तराखंड	19
कृषिक्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं और शिक्षा	20
हथकरघा: स्वरोजगार का बेहतर विकल्प	23
गन्ने की खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां	24
गन्ना किसानों की समस्याएं जस की तस	25
मवेशियों की नस्ल और चुनाव	26
ग्रामीण भंडारण योजना	28
खेतीबाड़ी के लिए बैंकिंग सुविधा	30

दो दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन

भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रम 'राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद' के सहयोग से आगामी 10-11 अक्टूबर को ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय में 'राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला-2015' का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि विभिन्न जनसरोकारों के लिए कार्य करने वाली संस्था 'स्पंदन' द्वारा विगत तीन वर्षों से मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से मीडिया चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष इसी क्रम में दो दिवसीय मीडिया चौपाल का आयोजन ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय में होने जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए आयोजक संस्था द्वारा बताया गया कि इस वर्ष मीडिया कार्यशाला का मुख्य विषय 'नदी संरक्षण एवं पुनर्जीवन' निर्धारित किया गया है। इस मुख्य विषय के अतिरिक्त कार्यशाला में- भारत की नदियां: कल, आज और कल; मध्य प्रदेश की नदियां: कल, आज और कल; नदियों का विज्ञान और पारिस्थितिकी; जन माध्यमों में नदियां: स्थिति, चुनौतियां और संभावनायें; नदियों का पुनर्जीवन: संचारकों की भूमिका- रिपोर्टर, स्तंभ लेखक, फीचर लेखक, ब्लॉगर, वेब संचालक, सोशल मीडिया, एक्टिविस्ट, कवि-कवियत्री, साहित्यकार, प्रवचनकार, रंगकर्मी आदि और नदियों की रिपोर्टिंग: विविध पक्ष- आर्थिकी, अपराध और लोकोपयोग जैसे तकनीकी विषयों पर भी व्याख्यान होंगे। आयोजक संस्था ने कार्यशाला में 150-200 जन संचारकों, पत्रकारों के साथ-साथ मीडिया व नदी-जल विशेषज्ञों के साथ ही अनेक बुद्धिजीवीयों और चिन्तकों के शामिल होने की संभावनाएं व्यक्त की हैं।

मीडिया कार्यशाला में भागीदारी करने के इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं www.spandanfeatures.com पर पंजीकरण कर सकती हैं।

समाचार

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का पटाक्षेप

भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर कड़े विरोध का सामना कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भूमि अध्यादेश को पुनर्स्थापित या फिर से जारी नहीं करेगी, साथ ही लंबित विधेयक पर किसानों के हित में हर प्रकार के सुझाव को स्वीकार करने को तैयार रहने की बात कही। इस तरह विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक ठंडे बस्ते में पड़ गया लगता है और विपक्षी दलों के दबाव के आगे मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है।

पिछले दिनों आकाशवाणी पर प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का नाम लिए बिना कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर इतने भ्रम फैलाए गए कि किसान को भयभीत कर दिया गया। किसानों को किसी तरह के दुष्प्रचार के बहकावे में नहीं आने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि भूमि कानून में एक काम अधूरा था, और वो-13 ऐसे बिंदु थे, जिसको एक साल में पूर्ण करना था, इसलिए हम अध्यादेश में उसको लाए थे लेकिन इन विवादों के चलते वो मामला भी उलझ गया।

अपने 20 मिनट के संबोधन में मोदी ने कहा कि उन 13 बिंदुओं को हम नियमों के तहत लाकर तत्काल लागू कर रहे हैं ताकि किसानों को नुकसान न हो, आर्थिक हानि न हो। उन्होंने कहा कि जिन 13 बिंदुओं को लागू करना पहले के कानून में बाकी था, उसको अब हम पूरा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अब न भ्रम का कोई कारण है औ न ही कोई भयभीत करने का प्रयास करे और किसानों को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अधिग्रहण में हैं कई चुनौतियां

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने भारत में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को काफी चुनौतीभरा करार दिया है। श्री पनगढ़िया ने स्पष्ट किया कि चाहे कोई नया शहर बसाना हो या, या कोई परियोजना स्थापित करनी हो इन सबके लिये भूमि अधिग्रहण में सरकार को कम से कम पांच साल का समय लग जाता है। वह राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों वहनीय शहरीकरण विषय पर आयोजित सम्मलेन में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।

सम्मेलन में विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में भूमि की उपलब्धता और अर्जन बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि नए शहर बनाने के लिये, कारोबार के लिए या मौजूदा परियोजनाओं को विस्तारित करने के लिए या मौजूदा शहरों को और अधिक सुविधा सम्पन्न बनाने आदि के लिये भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कम से कम पांच साल का वक्त लग जाता है। और यह समय भी तब लग जाता है जबकि गैरसरकारी संगठनों या न्यायिक प्रक्रियाओं या अन्य किसी किस्म के विरोध की चुनौती नहीं होती है।

उन्होंने देश द्वारा अपनायी गयी लो फ्लोर स्पेस (एफएसआई) सूचकांक नीति को भी कठघरे में खड़ा किया और कहा कि इस नीति के कारण ऊंचे भवनों का निर्माण नहीं हो पा रहा हैं और रहने के लिये घरों का किराया बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बेहतर शहरीकरण के लिये तेज रफ्तार सुविधाजन्य परिवहन सुविधाओं के व्यापक नेटवर्क की स्थापना पर जोर दिया, जिससे कि शहर के भीतरी भागों में रोजी-रोटी कमाने वाले लोग आसानी से आ-जा सकें। और शहर से बाहर खुली जगह पर रहने की सुविधा भी पा सकें। उन्होंने इस प्रकार के शहरों का विस्तार आज के तकनीकी दौर में संभव बताया। भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति को उन्होंने काफी उत्साहजनक बताया।

उन्होंने कहा कि भविष्य में इसके आठ से नौ प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। उनका मानना है कि तेज आर्थिक वृद्धि दर त्वरित बदलावों, तेज रफ्तार शहरीकरण, बढ़ती सम्पन्नता और गरीबी उन्मूलन की घटती दर को दर्शाती है।

अब किसानों के खाते में जमा होगी खाद सब्सिडी

विभिन्न खादों पर केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को खाद कंपनियों की बजाय सीधे किसानों को उनके बैंकखातों के जरिये दिये जाने पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा खाद पर जो सब्सिडी (छूट) दी जाती है, वह सीधे किसान को न देकर फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाती है। सब्सिडी के भुगतान की दुश्वारियों के मद्देनजर खाद निर्माता कंपनियां भी चाहती हैं कि यह सीधे किसान को ही दी जाय।

वर्तमान में विभिन्न खाद कंपनियों का सरकार पर 30 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा भुगतान बकाया हो चुका है। उर्वरक कंपनियां अनेक बार यह भी आरोप लगा चुकी हैं कि सरकार द्वारा अपने बजट में इतनी कम धनराशि आवंटित की जाती है कि उन्हें अपना बकाया मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। उर्वरक सब्सिडी के भुगतान को लेकर सरकार को भी अनेक सवालों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये भी सरकार को यह फैसला करना पड़ा है कि सब्सिडी से जुड़े घपलों का समाधान किसानों को सीधे सब्सिडी देने में ही है। किसानों को यह सब्सिडी धनराशि उनके बैंकखातों के जरिये दी जायेगी। सब्सिडी के भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिये किसानों के खातों को उनके आधारकार्ड से जोड़ दिया जायेगा। कृषि, उर्वरक तथा सहकारिता मंत्रालय के साथ राज्यों की मदद से इस परियोजना को अमली जामा पहनाये जाने की तैयारी की जा रही है।

इस परियोजना को अमली जामा पहनाने में सबसे बड़ा पेंच वास्तविक किसानों की पहचान का है। गौरतलब है, कि जानेमाने अभिनेता अमिताभ बच्चन भी स्वयं को किसान बताकर एकाधिक बार जमीनों की खरीद-फरोख्त कर चुके हैं। दूसरा पेंच इसमें खेतों का रकबा जांचकर खाद की सब्सिडी देने का है, जो वास्तविक किसानों के लिये मुश्किलें पैदा कर सकता है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि देश में भूमि संबंधी दस्तावेजों की साज-संभाल का मामला भी काफी अस्त-व्यस्त है और भू-सम्पत्तियों को लेकर जालसाजी वाले दस्तावेज तैयार करने की घटनाएं भी बहुत आम हो चुकी हैं।

इन्हीं सब समस्याओं के मद्देनजर सरकार ने फैसला किया है कि आधार नंबर वाले किसानों के साथ उनके खाद उपयोग का पिछला रिकॉर्ड भी लिया जायेगा। इस आंकड़े को जुटाने के लिये खाद की खुदरा आपूर्ति और बिक्री करने वाली दुकानों से सहायता ली जायेगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर लगेगी मिट्टी की जांच मशीनें

कृषि मंत्रालय ने हर ग्राम पंचायत में 'मृदापरीक्षक' स्थापित करने की योजना के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में मिट्टी की जांच करने की मशीन लगाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि विगत लंबे अर्से से रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी की अपनी उर्वरा शक्ति में कमी आयी है। पूरे देश में मिट्टी की गुणवत्ता में आ रही इस गिरावट को थामने के लिये मिट्टी जांच के यंत्र लगाने की योजना बनायी गयी है।

गौरतलब है कि विगत जुलाई माह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार भ्रमण के दौरान पटना में तीन मिट्टी जांच परीक्षण मिनी लैब किसानों को उपलब्ध कराये थे। यह मशीन डिजिटल तकनीक आधारित काम करने वाली सचल प्रयोगशाला है। इसके द्वारा मिट्टी का पीएच संतुलन, कार्बन, ईजी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ मिट्टी में मौजूद बोरॉन, जिंक, लोहा आदि की मात्रा भी जानी जा सकेगी। यह यंत्र किसानों को यह भी बताने में सक्षम है कि मिट्टी के जांच के अनुसार कौन सी खाद या उर्वरक इस्तेमाल की जानी चाहिये। मिट्टी का परीक्षण कराने वाले किसानों को परीक्षणोपरांत उनसे संबंधित यह सभी जानकारियां उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस द्वारा प्राप्त हो जायेंगी। इस लघु प्रयोगशाला का विकास भोपाल स्थित आइसीएआर द्वारा किया गया है।

सूखा राहत के बदले मिली मौत

सूखा राहत का चेक लेने भारतीय स्टेट बैंक फतेहपुर सीकरी की स्थानीय शाखा आए किसान धीरेंद्र सिंह को मौत मिली। आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बंदूक की बट से पीट-पीटकर मार डाला। इसके विरोध में दो घंटे बवाल हुआ। भड़की भीड़ ने एसओ फतेहपुर सीकरी की भी पिटाई कर दी। अधिकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई और आर्थिक मदद का वादा कर बवाल शांत कराया।

कस्बे के मुख्य बाजार स्थित बैंक शाखा में दोपहर करीब डेढ़ बजे सूखा राहत राशि के चेक बांटे जा रहे थे। बैंक पहुंची सैकड़ों किसानों की भीड़ में फतेहपुर सीकरी के गांव बदनपुर बर्नावई निवासी धीरेंद्र सिंह (40 वर्ष) भी थे। अव्यवस्था फैलती देख बैंक के सिक्योरिटी गार्ड चंद्रभान ने लाइन लगाने को कहा। बार-बार लाइन टूटने से वह आपा खोकर किसानों को बंदूक की बट से पीटने लगा। आरोप है कि धीरेंद्र को उसने कई बार बट मारी। सिर में गंभीर चोट से लहूलुहान होकर धीरेंद्र वहीं गिर गये और उनकी मौत हो गई।

लाखों एनजीओ शामिल हैं अनुदानों के घपलों में

सर्वोच्च अदालत में दायर एक याचिका पर पारित आदेश के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा गैरसरकारी संस्थाओं के बारे में व्यापक जानकारियां जुटायी गयी हैं, जिनसे यह खुलासा हुआ है कि ये संस्थाऐं जानबूझकर प्राधिकारों को अपने खर्चों का व्यौरा उपलब्ध नहीं कराती हैं।

सीबीआई द्वारा जुटाई गयी जानकारी के अनुसार देश भर में फैली लगभग अट्ठाइस लाख एनजीओ अपने खर्चों का व्यौरा केंद्र तथा राज्य सरकारों को पेश नहीं करती हैं। केवल दो लाख 90 हजार एनजीओ ही अपने खर्चों का हिसाब-किताब संबंधित राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों और अन्य ऐजिसियों को उपलब्ध कराती हैं। सीबीआई द्वारा यह रिपोर्ट 26 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों की एनजीओ पर तैयार की गयी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना से जानकारियां मिलनी बाकी हैं। सीबीआई द्वारा जुटायी गयी यह सब जानकारियां सीडी में उपलब्ध करायी जायेंगी। क्योंकि इतनी ज्यादा तादात में कागजी तौर पर दस्तावेज तैयार कर, अदालत को सौंपना सीबीआई के लिये अकेले दम पर आसान नहीं है। एक संकलित रिपोर्ट भी हालांकि अलग से

अदालत में दाखिल की जायेगी।

गैरसरकारी संगठनों के खिलाफ याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि तमाम एनजीओ सरकारी व अन्य अनुदानों में घपला करने की नीयत से ही, अपने खर्चों का व्यौरा प्राधिकारों को मुहैय्या नहीं कराते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान गत सितंबर 2013 में सीबीआई को देशभर के एनजीओ के खर्चों के ब्यौरों से संबंधित जानकारियां जुटाने को कहा था।

वर्तमान में 26,99,623 एनजीओ 26 राज्यों में काम कर रही हैं जबकि 82,250 एनजीओ केंद्रशासित राज्यों में कार्यरत हैं। खर्चों सहित अन्य व्यौरा प्राधिकारों को मुहैय्या कराने के मामले में केंद्रशासित क्षेत्रों का प्रदर्शन अन्य राज्यों से बेहतर है। केंद्रशासित क्षेत्रों की लगभग 50 फीसदी एनजीओ अपने खर्चों का हिसाब-किताब दर्ज करवाती हैं। तफ्तीश के दौरान यह आश्चर्यजनक तथ्य भी उजागर हुआ कि केरल, राजस्थान, पंजाब तथा त्रिपुरा में एनजीओ से खर्चों का व्यौरा तलब करने से संबंधित कोई कानून ही मौजूद नहीं है।

कृषि विभाग ने शुरू की पशुओं के लिए उत्तम चारा योजना

पशुओं के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए शुद्ध गुणवत्ता का चारा आवश्यक है। इसीलिए हिमाचल कृषि विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के पशुपालकों को अब पशुओं को गुणवत्ता पूर्ण चारा मिलेगा। केंद्र सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से इसी वर्ष उत्तम चारा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कृषि विभाग किसानों को 50 फीसदी उपदान पर चारा बीज मुहैय्या कराएगा। इस योजना के तहत कृषि विभाग ने किसानों को बीज देना प्रारंभ कर दिया है।

मुख्य सूत्रों के अनुसार प्रदेश के पशुपालकों को अब अपने पशुओं को चारा मुहैय्या करवाने के लिए दर-दर की ठोकरें नहीं खानी होंगी। इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हुई केंद्र सरकार की उत्तम चारा योजना किसानों की उक्त समस्या का समूल समाधान करेगी। हिमाचल में केंद्र सरकार की उक्त योजना के तहत प्रदेश कृषि विभाग के माध्यम से चारा बीज की खरीद-फरोख्त पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। योजना के तहत किसानों को चारा बीज 50 फीसदी उपदान पर मिलेगा।

इस योजना की खासियत यह है कि इससे जहां पशुओं को गुणवत्ता वाला चारा उपलब्ध होगा वहीं दूसरी ओर चारा बीज पर दी जा रही 50 फीसदी सब्सिडी का लाभ किसान उठा सकेंगे। कृषि विभाग से जुड़े सूत्रों की मानें तो सोलन जिले में इसी वर्ष शुरू की गई केंद्र सरकार की उत्तम चारा योजना के तहत 26.50 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं। योजना के तहत किसानों को चरी, ज्वार, बाजरा, स्वर्णगम व बरसीम का बीज दिया जाएगा, जिससे पशुओं को हर सीजन में हरा चारा मिल सके। कृषि विभाग के सभी विक्रय केंद्रों पर किसानों को इस योजना के तहत वितरित किया जाने वाला चारा बीज पहुंच चुका है। पशु चारे की उक्त सभी किस्मों की खरीद पर कृषि विभाग किसानों को 50 फीसदी उपदान देगा।

उल्लेखनीय कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की आर्थिकी आज भी खेतीबाड़ी तथा पशुपालन पर टिकी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज भी करीब 86 फीसदी लोग पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं। जोकि खेतीबाड़ी से तीन प्रतिशत अधिक है। जंगलों से पशु चारे वाले पेड़-पौधे कम होने की वजह से किसान सालभर पशुओं के चारे को लेकर चिंता में डूबा रहता हैं। हिमाचल प्रदेश में चारे की कमी के कारण पशुपालकों को मैदानी क्षेत्रों से तूड़ी मंगवानी पड़ती है। चारे की कमी को देखते हुए केंद्र की यह योजना पशु पालकों के लिए वरदान साबित होगी। लोग अपने पशुओं के लिए खेतों में ही हरा चारा तैयार कर सकेंगे।

जिला कृषि अधिकारी, डा. अनिल ठाकुर के अनुसार केंद्र सरकार की उत्तम चारा योजना के तहत जिला सोलन में 26.50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। योजना के तहत चरी, बरसीम, ज्वार, बाजरा, स्वर्णगम का बीज और चैफ कटर (घास काटने की मशीन) किसानों को 50 फीसदी उपदान पर दी जा रही है।

आरबीआई के अधिकारों पर अंकुश महंगाई नियंत्रण के लिये खतरनाक

केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारों को सीमित करने के लिये एक मसौदा तैयार किया है जिसे लेकर यह बहस छिड़ी हुई है कि इससे महंगाई पर लगाम लगाने के प्रयासों को काफी नुकसान पहुंचेगा। बहुराष्ट्रीय अनुसंधान संस्था मूडीज ने भी अपने सर्वेक्षणों से यह चेताया है कि ब्याज दरों पर फैसला करने के आरबीआई के स्वायत्तता के अधिकारों के साथ प्रयोग नहीं किये जाने चाहिये।

गौरतलब है कि भारत में बैंकिग व्यवसाय के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के अधीन केंद्रीय बैंक की भूमिका में होने के साथ-साथ ब्याज दरों आदि का निर्धारण करने आदि संबंधी मामलों में भी स्वायत्तता धारण करता है। बहुराष्ट्रीय अनुसंधान संस्था मूडीज एनालिटिक्स ने भी भारतीय वित्त संहिता के संशोधित मसौदे में ब्याज दर तय करने हेतु समिति के गठन की सिफारिश पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए, आशंका व्यक्त की है कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता में प्रस्तावित दखल से मुद्रास्फीति की आशंकाओं को काबू में रखना मुश्किल हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय वित्त संहिता के मौजूदा संशोधित प्रारूप में बैंकों आदि की ब्याज दर तय करने के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही यह भी सिफारिश की गयी है कि इस समिति में सात सदस्यों का नामांकन सरकार द्वारा होगा। ध्यातव्य है कि इससे पहले जो मसौदा तैयार किया गया था उसमें भारतीय वित्त संहिता ने, आरबीआई को समिति के फैसले के संबंध में आरबीआई के गवर्नर को विशेषधिकार (वीटो) प्रदान किया था, जिसे संशोधित मसौदे में खत्म करने की सिफारिश की गयी है। इस पर मूडीज सहित अन्य अनेक आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन सिफारिशों को अमल में लाने से देश की भावी अर्थिक संभावनाओं की स्थिरता दुष्प्रभावित होगी।

पहाड़ के किसानों को मिले व्यावसायिक वृक्ष खेती का अधिकार

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वहां के निवासियों के खेती से विमुख होने के अनेक कारण हैं, परंतु उनमें से एक प्रमुख कारण है वहां पर वृक्षों के व्यावसायिक उत्पादन और उपयोग पर रोक लगना। वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के मुताबिक पहाड़ का

किसान अपने नाप खेतों में पेड़ों का व्यावसायिक उत्पादन नहीं कर पा रहा है। हालांकि वर्तमान में कुछ नदी घाटी के इलाकों में पॉपलर के वृक्ष कुछ किसानों द्वारा लगाये गये हैं, परंतु ये सभी किसान इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह वनस्पति पहाड़ों में पानी के स्रोतों के लिये हानिकारक है और जब इसे काटने की बारी आयेगी तब वृक्ष संरक्षण कानून के तहत् अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।

पलायन के कारण 90 प्रतिशत असिंचित पहाड़ की खेती का लगभग आधा भाग आज बंजर पड़ा है। इस बंजर कृषि भूमि में चीड़, मेहल, खैर-खजूर और तुन सहित अनेक प्रजातियों के पेड़ उग आये हैं। इन पेड़ों के कारण वह इलाका जो कभी खेती-बाड़ी से लहलहाता था अब जंगल का रूप ले चुका है। परंतु वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 पहाड़ के किसानों को इन वृक्षों के उपयोग की इजाजत नहीं देता है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों सहित समूचे देश में किसानों को अपने खेतों में वृक्षों का व्यावसायिक उत्पादन करने का अधिकार है, परंतु इस मामले में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के साथ सदा भेदभाव किया गया है। सूबे का सत्ता प्रतिष्ठान भी पहाड़वासियों की इस पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं करता है।

सर्वविदित है कि पहाड़ की खेती का 90 प्रतिशत भाग असिंचित होने के कारण पूरी तरह वर्षाजल पर निर्भर है। अगर पहाड़ के किसानों को अपने नाप खेतों में वृक्षों के व्यावसायिक उत्पादन का अधिकार दे दिया जाये तो खेती को उनके लिए और ज्यादा आकर्षक बनाने के साथ-साथ आय का मजबूत स्रोत भी बनाया जा सकता है। अतः आज यह जरूरी हो गया है कि पहाड़ की कृषि को रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से, उसके साथ वृक्ष खेती को भी जोड़ा जाय। वृक्ष संरक्षण कानून-1976 में बदलाव करते हुए पहाड़ के किसानों को अपने नाप खेतों और जमीनों पर वृक्षों के व्यावसायिक उत्पादन का अधिकार प्रदान किया जाए।

भारत के पारंपरिक उत्पादों के पेटेंट को हथियाने की साजिश नाकाम

यूरोप द्वारा ग्रीन टी, हल्दी और देवदारू के पेटेंट को हथियाने की साजिश को भारत की वैज्ञानिक एवम् औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआइआर) ने नाकाम करने में सफलता प्राप्त की है। यूरोप की दवा कंपनी पेनीजिया लेबॉरेटेरी लिमिटेड ने भारतीय पारंपरिक ज्ञान के आधार पर एक दवा का फॉर्मूला तैयार किया था, जिसे वह पेटेंट कराकर, इसमें इस्तेमाल की गयी हल्दी, ग्रीन टी और देवदारू को प्रयोग करने के अधिकार को हथियाना चाहती थी। दवा कंपनी पेनीजिया द्वारा इस दवा का निर्माण बाल झड़ने की समस्या के निदान हेतु किया गया था।

सीएसआईआर के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार 2011 में इस कंपनी ने यूरोपीय पेटेंट कार्यालय में इस फॉर्मूले को पेटेंट कराने के लिये आवेदन किया था। लेकिन परिषद के पारंपरिक ज्ञान पुस्तकालय और यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के मध्य हुए करार के मुताबिक दवा निर्माता कंपनी ने दवा के निर्माण से संबंधित जानकारियां भारत से साझा की। जानकारी के प्रकाश में आने के बाद पारंपरिक ज्ञान पुस्तकालय (टीकेडीएल) ने अपना ऐतराज दर्ज करते हुए, यूरोपीय पेटेंट कार्यालय को ऐसे तमाम पारंपरिक प्रायोगिक फॉर्मूले उपलब्ध कराये, जिनमें हल्दी, ग्रीन टी और देवदारू के अंशों का इस्तेमाल कर, बाल झड़ने के उपचार की दवा भारत में बहुत प्राचीनकाल से बनायी जाती रही है। टीकेडीएल ने दावा किया कि आयुर्वेद में इस उपचार का वर्णन है तथा यह टीकेडीएल के पुस्तकालय में संग्रहीत है। इसकी एक दस्तावेजी प्रतिकृति अमेरिका और दुनिया के अन्य पेटेंट कार्यालयों में भी मौजूद है।

टीकेडीएल और सीएसआईआर ने संयुक्त रूप से यूरोपीय दवा कंपनी के खिलाफ तर्कसहित अपनी आपत्ति दर्ज की, जिस पर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने यूरोपीय दवा कंपनी को अपना पेटेंट वापस लेने का आदेश दिया। कंपनी को बाध्य होकर अपना आवेदन वापस लेना पड़ा।

टीकेडीएल ने एक और मामले में भी सराहनीय सफलता हासिल की है। कोलगेट-पामोलिव कंपनी ने भी जायफल से तैयार एक माउथवाश को पेटेंटे कराकर इसे हथियाने का प्रयास किया था। उसने इस हेतु यूरोपीय पेटेंट हाउस कार्यालय में आवेदन भी दाखिल किया, परंतु सीएसआईआर तथा टीकेडीएल की समय पर सक्रियता के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनी कोलगेट-पामोलिव का यह प्रयास विफल हो गया। सीएसआईआर तथा टीकेडीएल ने पेटेंट कार्यालय में पेटेंट के विरोध में दर्ज दस्तावेजों से यह साबित किया कि भारतीय आयुर्वेदिक उपचार पद्धति में यह फॉर्मूला पहले से ही मौजूद है और पारंपरिक रूप से लोगों में प्रचलित भी है। वर्तमान में इस फॉर्मूले को टीकेडीएल द्वारा दस्तावेजी तौर पर संग्रहीत कर तत्संबंधी कानूनी संरक्षण हासिल किया गया है।

उल्लेखनीय है कि टीकेडीएल अब तक इस प्रकार के लगभग 225 मामलों में सफलता प्राप्त कर चुका है।

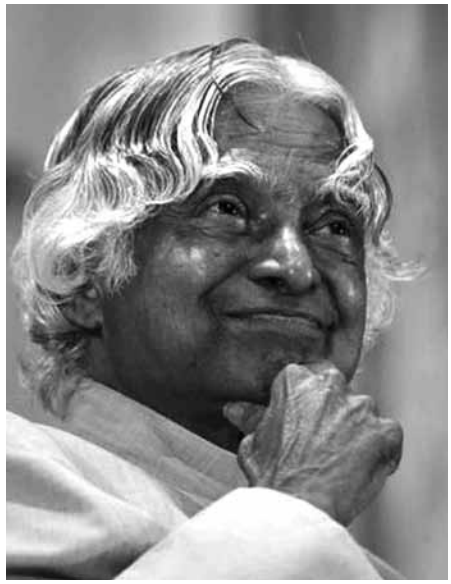

जनता के राष्ट्रपति की याद में वन की स्थापना

जनता के राष्ट्रपति के तौर पर विख्यात डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में उत्तराखंड के चमोली जनपद के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में मातृशक्ति द्वारा वृक्षारोपण कर 'कलाम वन' की स्थापना की गयी। जनप्रिय राष्ट्रपति डॉ. कलाम को जब उनके पैतृक गांव (रामेश्वरम) में हजारों की तादात में मौजूद देशवासियों द्वारा नम आंखों के साथ सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तब उसी समय देश के दूसरे कोने पर बसे सीमांत सूबे उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गोपेश्वर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्थानीय महिलाओं ने, चिपको आंदोलन के नेता और पर्यावरण कार्यकर्त्ता चण्डीप्रसाद भट्ट की अगुआई में वृक्षारोपण करते हुए 'कलाम वन' की स्थापना की।

'कलाम वन' की स्थापना का मौलिक विचार भी वहां की ग्रामीण महिलाओं ने ही दिया और इसे साकार करने में बढ़-चढ़कर अपनी भूमिका निभायी। वन की स्थापना और वृक्षारोपण से पूर्व एक बैठक आयोजित कर डा. कलाम को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी, जिसमें सैकड़ों स्थानीय नागरिकों ने शिरकत की।

और उधर बिहार में किशनगंज कृषि महाविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में समर्पित करते हुए कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने इस आशय की घोषणा करते हुए कहा कि भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले इस विराट व्यक्तित्व के प्रति यह समूचे

बिहार की भावभीनी श्रद्धाजलि है। इस मौके पर नीतिश कुमार ने यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम का बिहार से खास लगाव था और वे अनेक अवसरों पर अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया करते थे कि बिहार के विकास से भारत के विकास का सीधा नाता है।

स्वच्छ भारत ई-लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ

ठोस कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने गत दिनों स्वच्छ भारत ई-लर्निंग पोर्टल और स्वच्छता पर पहले प्रशिक्षण माड्यूल का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे नगरपालिका कर्मचारियों और स्वच्छता के क्रियाकलापों से जुड़े लोगों और संगठनों को काफी मदद मिलेगी। श्री नायडू ने कहा कि सरकार को 100 स्मार्ट शहरों के लिए अभी तक 98 प्रविष्टियां मिल चुकी हैं और अन्य प्रविष्टियां आगामी कुछ दिनों में मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत ई-लर्निंग पोर्टल ठोस कचरा प्रबंधन में भी खास भूमिका निभायेगा।

सांसद आदर्श ग्राम योजना का होगा विस्तार

सांसद आदर्श ग्राम योजना को और अधिक विस्तारित करते हुए केंद्र सरकार के 37 मंत्रालयों की 223 योजनाओं सहित राज्य सरकारों की तकरीबन 1800 योजनाओं को इस योजना के अन्तर्गत समन्वित किया गया है। योजना को व्यापकता प्रदान करने के उद्देश्य से इन योजनाओं को सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सांसदों को योजनाओं की जानकारी देने के लिये संबंधित जानकारियों और सूचनाओं का प्रकाशन भी किया जायेगा ताकि उन्हें अच्छी योजनाओं को चिन्हित कर अपने चयनित गांवों तक पहुंचाने का विकल्प हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि सांसद प्रत्येक तीसरे महीने यह जान सकेंगे कि हमारे चिन्हित गांवों में विकासकार्यों की क्या स्थिति है, तथा अन्य सांसदों के गांवों में क्या बेहतर हो रहा है। उनके पास बेहतर विकासकार्यों को अपनाने का विकल्प भी मौजूद होगा।

गौरतलब है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल 689 गांवों का संबंधित सांसदों द्वारा चुनाव किया गया है, जिनमें से 517 के विकास की योजना तैयार की जा चुकी है। श्री सिंह ने यह भी बताया कि 13 फीसदी सांसदों ने अभी तक किसी गांव को चयनित नहीं किया है, परंतु बहुत जल्द वे भी किसी गांव को चयनित कर लेंगे।

गेहूं पर आयात शुल्क लगाने का फैसला

केंद्र सरकार ने गेहूं के आयात पर 10 फीसदी का आयात शुल्क आरोपित करने का फैसला लिया है ताकि इसके आयात को हतोत्साहित किया जा सके और देश के भंडारों में उपलब्ध गेहूं को अधिक से अधिक परिमाण में खपाया जा सके। इस खबर से किसान भाईयों को भी खुश होना चाहिये, क्योंकि गेहूं पर आयात शुल्क लगने से आगामी रबी के सीजन में गेहूं की समर्थन कीमतों में वृद्धि की संभावना नजर आ रही है।

वर्तमान में गेहूं के आयात पर कोई भी शुल्क नहीं था और इसी वर्ष आटा मिल मालिकों ने संभवत: पहली बार ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आयात किया। हालांकि अच्छी गुणवत्ता का गेहूं भारत में कम ही आयात किया जाता है। आयात शुल्क आरोपण के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अंतर्गत 31 मार्च 2016 तक ताजा आयात शुल्क जारी रहेगा।

गौरतलब है कि विगत अप्रैल-मई माह में हुई अतिवृष्टि और ओलाबारी ने रबी की फसलों को खासकर गेहूं की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया था जबकि गेहूं की फसल काफी अच्छी हुई थी। बाद में अनेक किसान संगठनों और जनपक्षधर संगठनों तथा विपक्षी राजनीतिक दलों के दबाव में सरकार को गेहूं खरीद के मानकों में शिथिलता देनी पड़ी। इसके चलते सरकार की खाद्यान्न खरीद एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) आदि द्वारा किसानों से पिछले सत्र के मुकाबले इस साल ज्यादा मात्रा में गेहूं की खरीद की गयी है। इस वर्ष खरीदे गये 2.80 करोड़ टन गेहूं में से 2.66 करोड़ टन गेहूं तत्संबंधी खरीद मानकों में शिथिलता के फलस्वरुप खरीदा गया है। अब सरकार की मंशा है कि इस गेहूं के भंडार को राशन की दुकानों, कल्याणकारी योजनाओं और खुले बाजार में बिक्री के जरिये खपाया जा सके। गेहूं पर आयात शुल्क से सरकार को जारी बजट सत्र के शेष महीनों में लगभग 90 करोड़ रुपया राजस्व आय के रूप में प्राप्त होंगे।

मध्य प्रदेश की अनाज मंडियों में फर्जी परमिट से करोड़ों की टैक्स चोरी

मध्य प्रदेश की कृषि अनाज मंडियों में अनाज के कारोबार में करोड़ों रुपए की कर चोरी का मामला सामने आया है। यह पूरा खेल एक मंडी से दूसरी मंडी, गोदाम या प्रोसेसिंग यूनिट तक अनाज ले जाने के जरूरी परमिट में हो रहा था। फर्जी परमिट बनाकर न सिर्फ मंडियों से माल बाहर ले जाया गया, बल्कि दूसरी मंडी में बेचा भी गया। पुलिस और मंडी बोर्ड की दो साल चली पड़ताल के बाद विस्तृत जांच के लिए मामला सरकार ने राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया है। ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। सबसे पहले फर्जी परमिट का मामला डबरा कृषि उपज मंडी में 2013 में एक शिकायत के तौर पर सामने आया। मंडी प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज कराई। जांच में पता लगा कि जिस परमिट के सहारे अनाज मंडी में आया, उस नंबर पर परमिट जारी ही नहीं हुआ। इसी तरह भांडेर में सोयाबीन की बड़ी खेप आई। मंडी परमिट जांचा गया तो पता लगा कि वह खंडवा मंडी का है, वह एक कोरियर सर्विस ने व्यापारी को दिया था। कोरियर सर्विस के यहां छापा पड़ा तो वहां से कई परमिट बरामद हुए। फर्जी परमिट के खुलते मामलों के मद्देनजर मंडी बोर्ड ने ऑडिट कराया। इसमें भिंड, भांडेर, रानोद, सांवेर, करई, श्यामगढ़, मऊ, इंदौर, खंडवा, शाजापुर सहित 11 मंडियों में फर्जी परमिट के मामले सामने आए। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक अरुण पांडे का कहना है कि प्रदेश की 256 मंडियों में 50 हजार से ज्यादा कारोबारी अनाज बेचते-खरीदते हैं। इन्हें मंडी से बाहर अनाज ले जाने के लिए सौ रुपए के अनाज के लिए दो रुपए मंडी टैक्स अदा करने पर संबंधित मंडी मैनुअल परमिट जारी करती है। खेल इसी स्तर पर होता है। दरअसल इस व्यवस्था की निगरानी संजीदगी के

साथ नहीं होती है। मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक, लेखाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, स्टोर कीपर और व्यापारी गिरोह बनाकर फर्जी परमिट बुक तैयार कर लेते हैं और व्यापारियों से औने-पौने दाम लेकर उन्हें सौप देते हैं। कृषि विभाग और मंडी बोर्ड का मानना है कि घोटाला करोड़ों का इसलिए है क्योंकि सालाना टैक्स ही एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा आता है। कमजोर से कमजोर मंडी का भी सालाना टर्न ओवर 5-10 करोड़ से कम का नहीं होता है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी खराब गेहूं नहीं उठाया

तरनतारन में चार वर्ष पहले पनग्रेन द्वारा खरीदे गए गेहूं को स्टोर करने के लिए गांव कदगिल में गोदाम बनाया गया था। लेकिन खुले आसमान के नीचे पौने पांच लाख बोरी गेहूं जमा करने से उक्त गेहूं बर्बाद हो गया और दुर्गंध मारने लगा। दुर्गंध से निजात पाने लिए गांव के लोगों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा बरती जा रही लापरवाही से लोगों की मुसीबत जस की तस बनी रही।

गौरतलब है कि तरनतारन-जंडियाला मार्ग पर स्थित गांव कदगिल में कई वर्ष पहले सात लाख बोरी की क्षमता वाला गोदाम बनाया गया था। खुले आसमान के नीचे बने इस गोदाम की चारदीवारी के अंदर वर्ष 2011 में पनग्रेन ने 4.75 लाख बोरी गेहूं स्टोर किया था। नियमानुसार खुले आसमान के नीचे गेहूं स्टोर करने का समय केवल छह महीने का होता है। मगर महकमे के अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह गेहूं बारिश का शिकार होता रहा। देखते ही देखते करोड़ों का गेहूं बर्बाद होकर सड़ गया और दुर्गंध मारने लगा। चार वर्ष से बर्बाद हो रहे इस गेहूं का अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आ सका। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद खराब हुए गेहूं को अभी तक हटाया नहीं गया। गांव के लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने गांव वालों को इस मुसीबत से निजात नहीं दिलाई तो वे इसे आग के हवाले करने को मजबूर हो जाएंगे।

देश की थोक मंडियां बहुत जल्द होंगी ऑनलाइन

केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों की थोक मंडियों को एक कॉमन ई-प्लेटफॉर्म मुहैय्या कराने की योजना पर विचार कर रही है। विगत जुलाई माह में इस योजना को कार्यरुप दिये जाने को लेकर सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक बैठक कर्नाटक (हुबली) में आयोजित हुई। बैठक में मौजूद केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि ई-प्लेटफॉर्म प्रणाली के स्थापित हो जाने से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा।

सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की इस बैठक में ई-प्लेटफॉर्म योजना पर विचार-विमर्श हुआ तथा ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार पर आम सहमति कायम करने के उद्देश्य से अनेक प्रस्तावों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देशभर की 585 थोक मंडियों को एकीकृत करते हुए ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। मंडियों का मामला राज्यों का विषय है अत: इस योजना पर विचार-विमर्श के लिये कृषि मंत्रालय के आह्वान पर राज्यों के कृषि मंत्रियों की उक्त दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में 23 राज्यों के कृषि मंत्रियों ने शिरकत की। विदित हो कि कर्नाटक सरकार साल 2014 में ही राज्य की 55 मंडियों को ई-प्लेटफॉर्म के जरिये परस्पर ऑनलाइन जोड़ चुकी है।

ग्रामीण भारत की महिलाओं का स्वास्थ्य गंभीर खतरे में

एक ओर केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा आपराधिक आरोपी ललित मोदी की पत्नी के उपचार हेतु मदद पहुंचाये जाने के मामले को लेकर, देश की संसद विपक्ष के विरोध के चलते लगभग ठप रही और दूसरी ओर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की मेहनकश आधी आबादी अर्थात् महिलाओं का स्वास्थ्य गंभीर खतरों की स्थिति में है। हालिया सम्पन्न मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में इस बावत् पूछे गये एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि, देश की अनुसूचित जनजाति के 76.8 फीसद बच्चे तथा 68.5 फीसद महिलाऐं खून की कमी से जूझ रही हैं। जबकि ग्रामीण हिस्सों में 71 प्रतिशत बच्चे और 57.4 प्रतिशत महिलायें गंभीर रूप से खून की कमी की शिकार हैं।

40 लाख टन चीनी निर्यात की जायेगी

केंद्र सरकार विनिमय प्रणाली के अंतर्गत 40 लाख टन चीनी का निर्यात करने के फैसले पर विचार-विमर्श कर रही है। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि सरकार द्वारा यह फैसला गन्ना किसानों को चीनी मिलों से उनका बकाया जल्द से जल्द दिलवाये जाने की नीति के तहत् लिया गया है। गौरतलब है कि देश की विभिन्न चीनी मिलों का गन्ना किसानों पर लगभग 17, 300 करोड़ रुपया देनदारी का बकाया हो चुका है और गन्ना किसान अपना बकाया अभी तक नहीं मिल पाने के कारण आर्थिक रूप से हलकान हो रहे हैं। श्री पासवान के अनुसार, किसानों के भुगतान में मदद देने के नजरिये से 40 लाख टन चीनी निर्यात करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है।

केंद्र सरकार प्याज के आयात से काबू करेगी महंगाई

प्याज के दामों में बढ़ोत्तरी के साथ ही एक बार फिर मंहगाई को लेकर राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार जहां 40 रुपये प्रति किलो प्याज बेचने का ढिंढोरा पीट रही है वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने मंहगाई से हलकान हो चुकी जनता को दिलासा दिया है कि 10 हजार टन प्याज का आयात किया गया है और इसके पहुंचते ही प्याज के दामों में गिरावट आ जायेगी।

गौरतलब है कि विगत जून के दूसरे पखवाड़े से ही सब्जियों के दाम चढ़ने शुरू हो गये थे। जबकि दालों की कीमतें तो पहले से ही बढ़ रही थीं। सबसे ज्यादा प्याज के दामों में उछाल आया है। अगस्त के अंत तक इसके दाम बढ़ते-बढ़ते 80 रुपया प्रतिकिलो तक जा पहुंचे थे। खुदरा बाजार में प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जमाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिये है।

खाद्यमंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि केंद्र सरकार प्याज की कीमतों को काबू करने के लिये नेफेड के जरिये बहुत जल्द प्याज का आयात करने जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा प्याज के भण्डारण की सीमा तय कर दी गयी है। ●

ऐसे तो खंडित हो जाएगी लोकतंत्र की गरिमा

आजादी के बाद जो पहला बजट प्रस्ताव पेश किया गया था वह 197 करोड़ रुपयों का था। यानि की आज हमारी संसद के एक सत्र का कुल व्यय हमारी प्रथम स्वतंत्र सरकार के पहले कुल बजट व्यय से भी डेढ़-दो गुना हो चुका है। परंतु देश के बारे में हमारे सांसदों की समझ इसी अनुपात में घट चुकी है।

■ **महेन्द्र सिंह बोरा**

राष्ट्रीय संसद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52, 80(1) व 81(1) के अनुसार इसलिए की गयी थी कि भारतीय लोकतंत्र की यह सर्वोच्च संस्था देश के लिये शासन संचालन के नियम बनायेगी और इससे संबंधित प्रत्येक मुद्दे पर बहस, असहमति तथा निर्णय का अधिकार धारण करेगी। परंतु सोलहवीं लोकसभा के वर्ष 2015 के मानसून सत्र में जो कुछ देखा गया उससे एक स्वस्थ लोकतंत्र की गरिमा खंडित हुई है। यह सत्र हंगामेबाजी के कारण 25 कांग्रेसी सांसदों के निलंबन के साथ, जिस प्रकार बयानों के बादलों में घिरकर अवसान की ओर बढ़ गया, वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य लिए अच्छा संकेत नहीं है।

देश का सर्वोच्च सदन पूरे मानसून सत्र के दौरान सिर्फ बयानबाजियों और पक्ष-विपक्ष के हंगामों से गूंजता रहा। प्रत्यक्ष मतदान से निर्वाचित संसद की लोकसभा तथा राज्यसभा में निरंतर हंगामे होते रहे। चिंता तब और बढ़ जाती है जब तमाम सांसद हंगामे के दौरान भी केवल उन मुद्दों पर बुक्का फाड़कर चिल्लाते हैं जिनका देश की बहुसंख्यक जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, आधा भू-भाग सूखे की चपेट में है और आधा भू-भाग बाढ़ग्रस्त है। इतना ही नहीं सीमा पर जवान मारे जा रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, यदि वे जन्म ले भी लेती हैं तो इन दुधमुंही बच्चियों का बलात्कार करने को हैवान तैयार हैं। भेड़ों में भी कभी भगदड़ नहीं देखी जाती, परंतु देश में श्रद्धालु भगदड़ में जान गंवा देते हैं। गाड़ी के टकरा जाने पर लोग सड़क पर ही बंदूकें तान लेते हैं। लोग अपने नौनिहालों की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, अस्पतालों में रोगियों की भीड़ है तो दूसरी तरफ देश का एक विशाल युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर धैर्य खोने की स्थिति में है। आतंकवादी बेखौफ हैं, अपराधी निडर हैं, बिचौलिये निःशंक हैं और देश का शीर्ष सत्ता प्रतिष्ठान बिहार के चुनावों को लेकर जुमलेबाजी में मशगूल है।

यह बीसवीं सदी की मान्य अवधारणा है कि लोकतंत्र शासन-प्रशासन की पारदर्शी और बहुजनहिताय व्यवस्था है। परंतु जब हम भारतीय लोकतंत्र के सफर पर नजर दौड़ाते हैं तो बड़ी निराशा होती है। बहस, असहमति और निर्णय का स्थान अब हुड़दंग ने ले लिया है। हुड़दंग और हंगामे की शुरुआत को स्मरण करने पर याद आता है कि इस प्रकार की पहली घटना समाजवादी नेता राजनारायण के साथ घटी थी, जब उन्हें मार्शलों ने उठाकर राज्यसभा से बाहर कर दिया था।

देश के वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब वर्ष 2013 में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने अपने दौर की संसदीय राजनीति को स्मरण करते हुए कहा था कि उन्हें उनके वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा यह सिखाया गया था कि '3-डी' में लोकतंत्र का स्तर समाहित है। अर्थात् डिबेट, डिस्सेंट और डिसीजन। लेकिन अपने लगभग साढ़े चार दशक तक के सक्रिय राजनीतिक जीवन में उन्हें आभास हुआ कि अब इसमें एक 'डी' ने और घुसपैठ कर ली है जिसका नाम है डिसरप्शन अर्थात् हंगामा। राष्ट्रपति होने के नाते मानक प्रोटोकॉल के दायरे में रहकर अभिव्यक्ति के चलते हालांकि वे यह नहीं कह पाये कि भारतीय संसदीय राजनीति में मौजूदा दौर में यह नया घुसपैठिया ही मानक बन चुका है।

जनता के राष्ट्रपति के रूप में मशहूर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने भी एकाधिक बार भारतीय संसदीय राजनीति के गिरते हुए स्तर पर गहन चिंता व्यक्त की थी। अपने अंतिम दिनों में भी वे संसद में चल रहे गतिरोध को लेकर खासे चिंतित थे।

भारतीय संसदीय परंपरा का एक दौर वह भी रहा है जब पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू को अपनी ही पार्टी के सांसदों को यह कहते हुए देखा गया कि वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी को ध्यान से सुनें। गौरतलब है कि उस दौर में पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी अपनी पार्टी और लोकसभा के युवा सांसद के तौर पर सदन में बैठा करते थे। वह अच्छे वक्ता हैं यह तो सर्व विदित है ही परंतु वह संसदीय परंपराओं का गरिमापूर्ण निर्वाह जिस तरह सदा करते रहे वह अपने आप में एक मिसाल है। आज के युवा राजनेताओं को ही नहीं अपितु प्रौढ़ राजनेताओं को भी उनके राजनीतिक व्यवहार से सीख लेने की आवश्यकता है।

आजादी के बाद संसद में तत्कालीन सरकार ने 31 मार्च 1948 को जब पहला बजट पेश किया था तो वह मात्र 197 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव था जिसमें लगभग 25 करोड़ रुपये का बजटीय घाटा भी शामिल था। इस बजट प्रस्ताव को पारित करने से पहले पूरे चार दिन तक संसद में सौम्य तरीके से धीर-गंभीर बहस हुई और तब कहीं जाकर यह बजट प्रस्ताव सरकार के बजट की शक्ल ले पाया। इसके

मुकाबले मौजूदा दौर में लाखों-करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव चंद घंटों की बहस के बाद पारित हो जाता है।

1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुई खूरेंजी की घटना को कौन भूल सकता है। हालिया वर्षों में तेलंगाना के मसले पर संसद में एक सांसद ने काली मिर्च का स्प्रे तक छिड़क दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2014 में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए धरने पर बैठ गये थे। आंध्र के मुख्यमंत्री किरण कुमार ने तेलंगाना मसले पर धरना दिया। तेलंगाना राज्य गठन के सवाल को लेकर तो यहां तक हुआ कि विधेयक को पास कराते समय टीवी कैमरों को बंद कर दिया गया। सरकार ने शायद उस लोकतांत्रिक दृश्य को इस गणतांत्रिक देश के लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं समझी।

संसद में इस प्रकार की हुड़दंगबाजी बोफोर्स तोप दलाली कांड के बाद ज्यादा बढ़ी है। उस दौर में विपक्ष ने पूरे 45 दिनों तक संसद को बंधक जैसी स्थिति में पहुंचाते हुए ठप कर दिया था। उसी दौरान सन् 1989 में इसी प्रकार की हुड़दंगबाजी के चलते 63 सांसदों को एकमुश्त निलंबित कर दिया गया था और अन्य चार सांसद निलंबित सांसदों के साथ ही सदन छोड़कर चले गये थे। निलंबित सांसद, तत्कालीन कांग्रेसनीत सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर गठित ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखे जाने की मांग कर रहे थे। हालांकि आज कांग्रेस को यह स्मरण नहीं है। कभी संचार मंत्री सुखराम तो कभी तहलका टेप कांड, कभी 2-जी घोटाला तो कभी कोयला घोटाला और अब ललित गेट कांड, व्यापम घोटाले को लेकर संसद का लगभग पूरा मानसून सत्र गतिरोध की भेंट चढ़ गया। केवल संसद ही नहीं आज राज्यों की विधायिकाएं भी अशोभनीय हुड़दंगों के कारण बहुधा बाधित रहने लगी हैं।

संसद में इन हुड़दंगबाजियों के चलते दिन प्रतिदिन काम करने की रफ्तार घटती चली गयी है। पहली लोकसभा के दौरान औसतन प्रतिवर्ष 72 विधेयक पारित किये गये थे, जबकि 15वीं लोकसभा तक आते-आते यह संख्या औसतन 40 तक सिमट कर रह गयी है। 1976 में कुल 116 विधेयक पारित किये गये। यह एक साल में पास किये गये विधेयकों की अधिकतम संख्या है। सबसे कम 18 विधेयक, 2004 में पारित हुए। 1950 के दौरान लोकसभा में 127 दिन तथा राज्यसभा में 93 दिन काम हुआ। 2011 तक संसद में यह संख्या घटकर औसतन 73 दिन ही रह गई। पिछली लोकसभा के दौरान भी कुल 328 विधेयक विचारार्थ सदन में प्रस्तुत किये गये परंतु 179 विधेयक ही पारित हो पाये।

बोफोर्स घोटाले के बाद संसदीय गतिरोध के मामले भी बढ़ते गये हैं। इस घोटाले को लेकर जहां तब 45 दिनों तक संसदीय कार्यवाही ठप रही वहीं 2001 में तहलका कांड के बाद 17 दिनों तक संसद में गतिरोध कायम रहा। तहलका के इस खुलासे में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष को देश की जनता ने टेलीविजन पर रुपये गिनते देखा। इसी तरह 2010 में 2-जी घोटाले को लेकर जेपीसी गठित करने की मांग के चलते पूरा शीतकालीन सत्र ही संसदीय हंगामें की भेंट चढ़ गया। तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा के त्यागपत्र पर भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। 2-जी घोटाला मामला अदालत में विचारधीन है।

संसद में काम करने और न करने देने के लिए हर राजनीतिक दल ने अपने तर्क तैयार कर लिए हैं। जो दल सत्ता में होता है वह कहता है कि हर मुद्दे को बहस से हल किया जाना चाहिये जबकि विपक्षी दल अपनी बात को हंगामे से मनवाना चाहता है।

दरअसल संसदीय गरिमा को बनाये रखने की जिम्मेदारी जिन प्रतिनिधियों पर होती है, उनका व्यवहार एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा होता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी कई मुल्कों के विधायी सदनों में हालात हमारे देश से अच्छे नहीं हैं। विगत वर्ष यूक्रेन की संसद में प्रतिनिधियों ने एक दूसरे के सिर तक फोड़ डाले थे। जार्जिया की संसद में भी सांसदों के बीच कपड़े-फाड़ गुत्थमगुत्था हुई थी। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान के अलावा सोमालिया, बोलिवीया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया आदि की संसदों में भी इस प्रकार की अशोभनीय घटनायें घट चुकी हैं।

संसद में काम करने और न करने देने के लिए हर राजनीतिक दल ने अपने तर्क तैयार कर लिए हैं। जो दल सत्ता में होता है वह कहता है कि हर मुद्दे को बहस से हल किया जाना चाहिये जबकि विपक्षी दल अपनी बात को हंगामे से मनवाना चाहता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज सत्ता में हैं तो वे विपक्षियों से सदन को चलने देने का आग्रह कर रहे हैं। जब वह विपक्ष में थे तो 2-जी मामले पर भाजपा द्वारा संसद में हंगामा बरपा करने के मामले पर, उनका बयान था कि संसद में कभी-कभी गतिरोध से देश को लाभ भी होता है। स्वयं तमाम कांग्रेसी नेता भी आज यह मानकर चल रहे हैं कि भाजपा ने यूपीए के शासनकाल के दौरान हंगामा बरपा किया था और आज वह सत्ता में है।

सांसदों द्वारा संसद में हंगामा करने की एक बड़ी वजह प्रचार की भूख भी है। संसदीय कार्यवाही का विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से सजीव प्रसारण किया जाता है। जनता की निगाह में स्वयं को जुझारू दिखाने के लिये और रातोंरात प्रचार पाने के लिये सांसद, संसद में हंगामेबाजी को अपनाते हैं। अधिकतर सांसद अपने क्षेत्रों में भ्रमण नहीं करते हैं, साल के अधिकतर समय राजधानी में ही बने रहते हैं। जब संसद सत्र चलता है तो वे जनता की नजर में आने और समाचारों की सुर्खियां पाने के लिए संसद में आक्रामकता अपनाते हैं। इन हंगामों के कारण राजनीतिक दलों को भले ही फायदा होता है परंतु देश को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। संसद सत्र के संचालन पर जो खर्च आता है उसको देखा जाये तो यह तर्क वाकई बहुत वाजिब लगने लगता है कि यदि संसद नहीं चली है तो उस दिन का सांसद का वेतन और अन्य भत्ता नहीं दिया जाना चाहिये। लोकसभा की कार्रवाई पर 1.5 करोड़ रुपया तथा राज्यसभा की कार्रवाई पर 1.1 करोड़ रुपया प्रतिघंटे की दर से खर्च होते हैं। जाहिर है कि यह खर्चा मौजूदा सत्र के लिये 260 करोड़ के आसपास बैठता है। जनता की गाढ़ी कमाई पर कर आरोपित कर उघाये गये ये रुपये अकारथ खर्च होने का अभिप्राय है कि 260 करोड़ रुपयों की बर्बादी हमारे ही नीति निर्माताओं ने कर दी।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि आजादी के बाद जो पहला बजट प्रस्ताव पेश किया गया था वह 197 करोड़ रुपयों का था। यानि की आज हमारी संसद के एक सत्र का कुल व्यय हमारी प्रथम स्वतंत्र सरकार के पहले कुल बजट व्यय से भी डेढ़-दो गुना हो चुका है। परंतु देश के बारे में हमारे सांसदों की समझ इसी अनुपात में घट चुकी है। वे अब हर नफे-नुकसान को सियासी चश्मे से देखने के आदी हो चले हैं। यदि यही आदत आगे भी बनी रही तो बहुत संभावना है कि राजनेताओं के प्रति जनता की आस्था जो कि पहले ही काफी निचले स्तर पर जा चुकी है, वह भविष्य में और भी अधिक विचलित हो सकती है। संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को बचाये रखना है तो हमारे सांसदों को संसदीय परंपराओं का सम्मान करना सीखना होगा। ●

उम्मीदों का संबोधन

69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं किसानों के कल्याणार्थ कृषि मंत्रालय का नाम 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' करने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर अगले 1,000 दिनों में देश के 18,500 गांवों में बिजली पहुंचाने का भी ऐलान किया।

■ कृषि चौपाल

संभवत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो कि अपने प्रत्येक संबोधन में भारत के अन्नदाता वर्ग को स्मरण रखते हैं। जब वह भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे तब बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुनाव रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार 'ग्रामीणों के रडार' पर होगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब श्री मोदी संसद भवन परिसर में मौजूद कैंटीन में भोजनावकाश के दौरान गये तो वहां भी उन्होंने कैंटीन की अतिथि पंजिका में 'अन्नदाता सुखी भव:' का संदेश स्वयं लिखा। उन्होंने हालिया रबी के मौसम में भारी बरसात और ओलाबारी के कारण गेहूं की फसल को हुई क्षति पर स्वयं संज्ञान लेते हुए फसल के 30 फीसदी नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा दिये जाने का ऐलान किया।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कृषि मंत्रालय का नाम परिवर्तित करते हुए 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' करने की घोषणा श्री मोदी की लंबी सोच का परिणाम लगती है। 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से 'स्टार्टअप इंडिया-स्टैंडअप इंडिया' का नारा देते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल कृषि की प्रगति ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसान का कल्याण भी जरूरी है उनका मानना है कि गुजरे छ: दशकों के दौरान भारत की सरकारों ने कृषि के आर्थिक पहलू पर ध्यान दिया परंतु किसान के कल्याण को उतनी तवज्जो नहीं दी गयी। उन्होंने कहा कि सिर्फ कृषि विकास की बातें ग्रामीण जीवन के लिये अधूरी हैं। किसान कल्याण को ग्रामीण जीवन और कृषि से जोड़ने पर ही यह पूर्णता प्राप्त करेगा। उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि भविष्य में कृषि के लिये और किसान कल्याण के लिए एक जैसी योजनाओं का निर्माण किया जायेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान से खेती के साथ उत्पादकों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा -ऐसी उम्मीद होनी स्वाभाविक है। किसानों की आत्महत्याओं ने इस समय पूरे देश को झकझोर रखा है। किसानों की आत्म हत्याओं पर हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और कृषिमंत्री राधामोहन सिंह ने एकाधिक मौकों पर विवादास्पद बयान दिया।

फिक्की का पूरा साथ

खेती से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ 'स्टार्टअप इंडिया-स्टैंडअप इंडिया' तथा सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता दिये जाने का भारत के उद्योग जगत ने भी काफी स्वागत किया है। उद्योग संगठन फिक्की की अध्यक्ष ज्योत्सना सूरी ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को उद्योग जगत के लिये सकारात्मक करार देते हुए कहा कि भारत के कुछ लाख उद्यमी उत्साह के साथ न केवल कई लाख रोजगार तैयार करेंगे बल्कि देश के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों के लिये भी आजीविका के अवसरों का बड़े पैमाने पर सृजन कर पायेंगे।

उद्योग संगठन सीआईआई ने भी श्री मोदी के विगत 15 महीनों के कार्यकाल के दौरान घोषित किये गये अभियानों और योजनाओं के असरदार क्रियान्वयन पर काफी हर्ष जताया है। संगठन का मानना है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उद्योग के रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करने के ऐलान सराहनीय हैं।

परंतु प्रधानमंत्री श्री मोदी के ऐलान से ऐसा लगता है कि उन्हें दूसरी हरित क्रांति के लिये किसानों के साथ की आवश्यकता का अहसास हो गया है।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई यूरिया नीति की घोषणा भी की। गौरतलब है कि अनेक मौकों पर किसानों को यूरिया खाद समय पर मिल नहीं पाती है। यूरिया का केमिकल की फैक्ट्रियों में अन्य वस्तुओं के निर्माण में भी प्रयोग किये जाने की बातें प्रकाश में आयी हैं। यहां तक कि अनेकों बार दूध और इससे बनने वाले खाद्य-पदार्थों में भी यूरिया की भारी मिलावट पायी गयी है।

स्वतंत्रता दिवस पर घोषित यूरिया नीति से जहां उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने को हरी झण्डी मिलने के आसार बढ़ गये हैं वहीं पूर्वोत्तर भारत के गोरखपुर, बरेली, तालचर और सिंदरी स्थित उर्वरक कारखानों को भी पुन: संचालित करने की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर जारी है।

यूरिया में नीम की कोटिंग करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि यूरिया के बेजा इस्तेमाल को रोका जा सके। नीम कोटिंग वाला यूरिया जहां अब खेती के अलावा अन्य किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर इस यूरिया का इस्तेमाल 10 फीसदी कम मात्रा में करने पर भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आयेगी।

कृषि के विकास के लिये सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' शुरू की जा चुकी है। इस योजना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा पचास हजार करोड़ रुपया लगाया जायेगा। श्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पानी बचाओ, ऊर्जा बचाओ और खाद बचाओ फॉर्मूले को लेकर हम दूसरी हरित क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। 'वन ड्रॉप-मोर क्रॉप' का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम सिंचाई से हमें अधिकतम फसल पैदा करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। ●

खाद्यान्न गिरावट से और बढ़ेगी महंगाई

जारी कृषि वर्ष में मोटे अनाज की पैदावार 4.17 करोड़ टन होने की आशा व्यक्त की गयी है जो वर्ष 2013-14 के मुकाबले लगभग 15 लाख टन कम आंकी गयी है। इसी प्रकार दलहन का उत्पाद 20 लाख टन और तिलहन के उत्पादन में 52 लाख टन की कमी दर्ज की गयी है। सकल कृषि उपज में कुल 4.66 प्रतिशत की कमी आंकी गयी है। मांग की अपेक्षा आपूर्ति में गिरावट के कारण दलहन व तिलहन की खेती को भारी झटका लगा है।

हाल में ही कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2014-15 के दौरान खाद्यान्न की पैदावार में लगभग सवा करोड़ टन की कमी आयेगी। अब कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय हो चुके इस मंत्रालय ने जारी वर्ष के कृषि उपज के चौथे अनुमान के आंकड़े हाल ही में जारी किये हैं। अनुमानों के मुताबिक कृषि साल 2014-15 (जुलाई से जून) के दौरान पिछले खरीफ सीजन में एक ओर जहां फसलें सूखे की मार से किसानों को घाटा दे गयीं वहीं हालिया बीते रबी सीजन में बेमौसम बरसात और ओलाबारी ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। मौसम की इस बेरहमी का असर फसलों की पैदावार पर पड़ा है। 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन जहां 25.2 करोड़ टन रहा, वहीं 2013-14 में यह रिकॉर्ड स्तर पर 26.5 करोड़ टन हुआ था। जाहिर है कि पिछले कृषि वर्ष के मुकाबले यह 1.30 करोड़ टन कम रहा है। पैदावार में कमी का असर खुदरा बाजार में दिखायी देने लगा है। सब्जियों के दामों में तो तेजी आयी ही है, दाल और खाद्य तेलों की थोक कीमतें भी अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही हैं।

इस वर्ष चावल का उत्पादन 10.48 करोड़ टन के साथ 20 लाख टन कम होने का अनुमान लगाया गया है। जबकि विगत कृषि वर्ष में यह 10.68 करोड़ टन के आसपास रहा था। गेहूं की पैदावार पिछले साल के मुकाबले इस साल 70 लाख टन कम लगभग 8.89 करोड़ टन होने की आशा व्यक्त की गयी है।

मोटे अनाज की पैदावार में भी भारी कमी का अनुमान व्यक्त किया गया है। जारी कृषि वर्ष में इसके 4.17 करोड़ टन होने की आशा व्यक्त की गयी है जो वर्ष 2013-14 के मुकाबले लगभग 15 लाख टन कम आंकी गयी है। इसी प्रकार दलहन का उत्पादन 20 लाख टन और तिलहन के उत्पादन में 52 लाख टन की कमी दर्ज की गयी है। सकल कृषि उपज में कुल 4.66 प्रतिशत की कमी आंकी गयी है। मांग की अपेक्षा आपूर्ति में गिरावट के कारण दलहन व तिलहन की खेती को भारी झटका लगा है।

कृषि पैदावार के चौथे अग्रिम अनुमान के आंकड़े पिछले खरीफ सीजन के सूखे और रबी के सीजन की फसल की कटाई के ठीक पहले हुई बेमौसमी बारिश और ओलाबारी को ध्यान में रखकर तैयार किये गये हैं। ●

मूडीज की रिपोर्ट: सचेत रहे सरकार

वैश्विक विश्लेषक संस्था मूडीज ने अपने आंकलनों में भारत की रेटिंग को संभावित सूखे से जोड़कर दिखाया है। विश्लेषक संस्था का कहना है कि भारत जारी वर्ष में सूखे की मार से बच सकता है।

मूडीज की हालिया रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि देश में मानसून की चिंताएं काफी हद तक कम हो गयी हैं, परंतु सिर्फ इतने से ही सरकार को निश्चिंत नहीं होना चाहिये। भारतीय आर्थिकी पर जारी इस रिपोर्ट में जारी वर्ष के लिये आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत होने की आशा व्यक्त की गयी है, परंतु कृषि क्षेत्र की विकास दर पर दबाव होने की आशंका जतायी गयी है। संस्था का मानना है कि सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी को देखते हुए जीडीपी पर इस दबाव का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि खरीफ की फसलों की बुवाई तथा मानसून की स्थितियां सितंबर के आखिर तक ही साफ हो पायेंगी। जाहिर है कि विकास और महंगाई से जुड़े अनुमानों में किसी भी प्रकार के बदलावों पर अभी से कोई पूर्वानुमान व्यक्त करना जल्दबाजी होगी। संस्था का मानना है कि मानसून की अनिश्चित चाल और उतार-चढ़ावों से मुकाबला करने के मामले में सरकार की नीतियां अहम साबित होंगी, यह निश्चित है।

इस साल विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है-

चावल	10.48 करोड़ टन
गेहूं	8.89 करोड़ टन
मोटे अनाज	4.17 करोड़ टन
मक्का	2.36 करोड़ टन
दालें	1.72 करोड़ टन
अरहर	27 लाख टन
चना	71 लाख टन
तिलहान	2.68 करोड़ टन
सोयबीन	1.05 करोड़ टन
मूंगफली	65.6 लाख टन
सरसों	63 लाख टन

सवाल एक तिहाई आबादी का

2011 की जनगणना के मुताबिक देश के 17 करोड़ 91 लाख परिवारों के पास जमीन का इतना टुकड़ा भी नहीं है कि जिस पर खड़े होकर वे अपने हाथ-मुंह धो सकें। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के लगभग 63 फीसदी ग्रामीण परिवार भूमि अधिकारों और संसाधनों से वंचित हैं। सवाल पैदा होता है कि जिस देश की 70 प्रतिशत आबादी खेतीबाड़ी पर आजीविका के लिये निर्भर है, उसके गांवों के 63 फीसद परिवार भूमिहीन होने के बावजूद किसकी भूमि पर खेतीबाड़ी करते हैं?

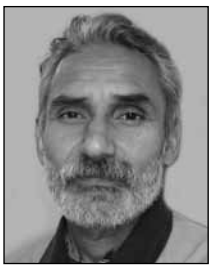

गणेश चन्द्र पाण्डे

हाल ही में दो खबरें आयीं और बिना चर्चा के गुजर गयीं। एक खबर थी- भारत के गांवों का हर तीसरा परिवार भूमिहीन है और दूसरी खबर न्यूनतम वेतनमान पर सरकार के साथ विभिन्न श्रमसंघों की बैठक बेनतीजा खत्म। खबरें देश की 70 प्रतिशत कार्मिक आबादी से जुड़ी हुई होने के बावजूद मीडिया में चर्चा नहीं पा सकीं। क्योंकि इन खबरों पर चर्चा से सुर्खियां नहीं बटोरी जा सकतीं? सजायाफ्ता मुजरिम की आधी रात को वकालत करने से सुर्खियां बटोरी जा सकती हैं!

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किये। यह जनगणना 2011 में करायी गयी थी। इस जनगणना के मुताबिक देश के 17 करोड़ 91 लाख परिवारों के पास जमीन का इतना टुकड़ा भी नहीं है कि जिस पर खड़े होकर वे अपने हाथ-मुंह धो सकें। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के लगभग 63 फीसदी ग्रामीण परिवार भूमि अधिकारों और संसाधनों से वंचित हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जिस देश की 70 प्रतिशत आबादी खेतीबाड़ी पर आजीविका के लिये निर्भर है, उसके गांवों के 63 फीसद परिवार भूमिहीन होने के बावजूद किसकी भूमि पर खेती-बाड़ी करते हैं? इस सवाल पर विचार करने से जो सीधा जवाब हमें मिलता है वह यह है कि हमारे देश के अधिकांश किसान परिवार भूमिहीन होने के कारण दूसरों की जमीनों पर कृषि कार्य करते हैं या फिर खेतीबाड़ी के कामों से अपनी मजदूरी कमाते हैं। यहां यह सवाल भी उठता है कि इन खेतीबाड़ी करने वाले किसानों या कृषक मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलती है, क्या इस तरफ सरकार ने कभी सोचा है? यानि न्यूनतम वेतनमान या न्यूनतम पारिश्रमिक जैसी अवधारणा के दायरे में इन खेतिहर वंचित किसानों को आज तक क्यों शामिल नहीं किया गया? मुट्ठी भर सरकारी नौकरशाहों और अफसरशाहों के लिये प्रति 10 वर्ष में वेतन आयोग बिठाकर वेतनमान तय किया जाता है, परंतु देश का वह कार्मिक तबका जो वर्ष के 365 दिन निरंतर, सपरिवार श्रम करता है, उसके श्रम के मूल्यांकन के लिये कौन सा आयोग आज तक बैठाया गया, क्या यह कोई बतायेगा?

दरअसल हमारे देश की संकटग्रस्त खेतीबाड़ी का सबसे ज्वलंत मुद्दा खेती-किसानी की हकदारी का मामला है। भारत की आजादी के बाद भी आज तक खेती-किसानी के काम को अकुशल काम का दर्जा देकर किसानों-मजदूरों, खासकर असंगठित क्षेत्र के किसानों-मजदूरों के श्रम के अधिकार को बहुत कमतर करके मूल्यांकित किया गया। दूसरी ओर सरकारी और संगठित क्षेत्र में कार्यरत चपरासी, बाबू, प्राइमरी के अध्यापक, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, और केंद्रीय तथा राज्य सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों आदि को भारी-भरकम वेतनमान दिये जाते रहे हैं। अभी भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत् काम करने वाले श्रमिकों को केवल लगभग 156 रुपया मजदूरी दी जाती है। इस योजना का जिक्र इसलिये किया जा रहा है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले ग्रामीण मजदूरों को अकुशल मजदूर माना जाता है, और यह योजना खेतीबाड़ी से विमुख हो रहे और भू-वंचित किसान परिवारों के लिये सबसे बड़ा सहारा साबित हो रही है।

एक चतुर्थ श्रेणी राजकीय कर्मचारी भी तमाम भत्तों-सुविधाओं के साथ आज के दौर में लगभग 30,000 रुपया मासिक वेतन पाता है। अधिकारी वर्ग का वेतन तमाम सुविधाओं सहित एक लाख रुपया मासिक से भी ज्यादा है। जबकि चिकित्सकों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और विभिन्न कंपनियों के प्रबंधकों की हकदारी की सीमा किसान-मजदूर के मुकाबले 200 गुना से भी ज्यादा है। मुकेश अंबानी करोड़ों रुपया सालाना वेतन लेते हैं और उनके सरीखे अन्य निजी तथा अर्द्धसरकारी कंपनियों के सीईओ या निदेशक आदि का वेतन भी करोड़ों रुपया सालाना है। परंतु यह गैरबराबरी की व्यवस्था सत्ता के शीर्ष प्रतिष्ठान को नजर नहीं आती। यदि इस गैरबराबरी की कोई बात करे तो वह सरकारी भाषा में नक्सली है या राष्ट्रद्रोही है। श्रमसंघों के साथ न्यूतनतम वेतन जैसे मसलों पर भी केवल 30 मिनट की इकतरफा बातचीत में अंतरमंत्रालयी समूह अपनी असहमति दे देता है। परंतु संसद लगातार बाधित रहती है इसका खामियाजा कौन भुगतता है?

लगभग सात दशक की आजादी के बाद मुल्क के रहनुमाओं को पता चला कि देश की एक तिहाई आबादी अचल संपत्ति से, भूमि से वंचित है। आज जब सरकार आठ या 10 प्रतिशत विकास दर की बात करती है तब वह इन वंचितों, मेहनतकशों की वाजिब हकदारी की बात क्यों नहीं करती है। आज सवाल यह नहीं

है कि जेट्रोफा उगाया जाये या ब्रोकली उगायी जाये। सवाल यह है कि आधा पेट रहकर श्रमरत लोगों के लिये क्या उगाया जाए? आज इस बात की जरुरत है कि खेती-किसानी का दावा मजबूती के साथ पेश किया जाये। लेकिन जब भी इस पर बात आती है तो एक साजिश के तहत फसलों के समर्थन मूल्य या खुले बाजार के दामों को मुद्दा बना दिया जाता है। दूसरी ओर किसानों की हालत यह होती है कि एक ओर किसानों का एक तबका गन्ने के मूल्य को लेकर लड़ रहा होता है तो दूसरा-तीसरा-चौथा हिस्सा गेहूं, धान, प्याज, आलू के दामों में बढ़ोत्तरी को लेकर लड़ रहा होता है।

वास्तविकता यह है कि किसान जब अपनी फसल बेचकर हिसाब करने बैठता है तो लागत निकालने के बाद शुद्ध मुनाफे के तौर पर उसके पास जो बचता है वही उसकी सपरिवार हकदारी होती है। और वर्तमान में यह हकदारी 30 रुपया प्रतिदिन से ज्यादा नहीं बैठती है। यह कैसी विडंबना है कि एक ओर राजसेवकों के लिए लाखों-करोड़ों रुपया वेतनमान सरकार की सरमायेदारी में तय होते हैं और दूसरी ओर साल भर चौबीसों घंटे मौसम की मार सहकर श्रम साधने वाले को चंद रुपये रोजाना पर गुजारा करना होता है।

खेतीबाड़ी में लगे किसानों, मजदूरों को अकुशल श्रमिक नहीं मानकर उनको संगठित क्षेत्र का श्रमिक भी मान लिया जाता है तो आधा मसला सुलझ सकता है। उनके लिये न्यूनतम पारिश्रमिक तय किया जा सकता है और न्यूनतम पारिश्रमिक तय हो जाने से वे खेती-किसानी की ओर रुख करेंगे। यह ध्यान देने वाली बात है कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी को एक साथ औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में भी इन किसानों-मजदूरों के साथ अकुशल श्रमिक मानने की साजिश के तहत गैरबराबरी की जायेगी यह निश्चित है। इसलिये खेती-किसानी से जुड़े प्रत्येक परिवार को खासकर जो कि भूमिहीन के रूप में चिन्हित किया गया है उसे या तो सरकार खेती-किसानी के लायक भूमि और अन्य संसाधन उपलब्ध कराये या फिर उस परिवार को औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित करने के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण मुहैय्या कराये, ताकि वह अकुशल श्रमिक न कहलाये और उसके श्रम का शोषण न हो। यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पहले कृषिक्षेत्र को मजबूत और उत्पादक बनाया जाए तब औद्योगिक क्षेत्र की ओर रुख किया जाय। साथ ही सरकार सख्ती के साथ न्यूनतम वेतनमान का दायरा बढ़ाये। ●

राजनीति का 'प्याज'

■ कृषि चौपाल

भारतीय रसोईघरों में प्याज को सब्जी के रूप में वह महत्व हासिल नहीं है जो कि आलू, लौकी, टिण्डा, भिंडी आदि अनेक सब्जियों को हासिल है। अनेक रेस्त्राओं और होटलों में भी प्राय: यह लिखा जाता है कि हमारे यहां खाने में प्याज-लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बावजूद इस साल पूरी गर्मियों भर तो प्याज ने भारतीय गृहणियों को रुलाया ही बल्कि अब बरसात के मौसम में भी प्याज के तेवर नरम नहीं पड़े हैं।

प्याज भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी खासकर उष्णकटिबंधीय एशियाई मुल्कों तथा अरब देशों में शोरबे वाली सब्जियों में खासा इस्तेमाल किया जाता है। भारत में भी प्याज का इस्तेमाल सब्जी से ज्यादा सलाद और मसाले के रूप में लहसुन के साथ किया जाता है। दूसरी ओर भारत में ही नहीं अपितु समूचे भारतीय प्रायद्वीप में अनेक घर ऐसे भी हैं जहां पिछली अनेक पीढ़ियों से ही प्याज वर्जित रहा है।

कुल मिलाकर प्याज का स्वभाव बाकी सब्जियों से अलग किस्म का है। यह अचानक नींद से जागता है और सरकारों को हिला देता है। याद करें आपातकाल के बाद आयी जनता पार्टी की सरकार के दिनों को। उन दिनों आपातकाल लादने का कलंक अपने माथे पर लिये कांग्रेस मूर्छित पड़ी हुई थी। अचानक प्याज की कीमतें बढ़ने लगीं और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बैठे-बिठाये एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इस मुद्दे का इस्तेमाल बड़े नाटकीय अंदाज में किया। कांग्रेस के नेता सीएम स्टीफन संसद में प्याज की माला धारण कर प्रविष्ट हुए। तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार भले ही अपने कारणों से गिरी हो परंतु सन् 1979 का चुनाव कांग्रेस प्याज के कारण जीत गयी थी। बाद में हालांकि कांग्रेस भी प्याज की बढ़ती कीमतों को नहीं रोक पायी। जब केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार 1998 में आयी तो फिर वही विडंबना हुई। और उन्हें यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि जब भी केंद्र से कांग्रेस सत्ताच्युत होती है तो प्याज परेशान करने लगता है। संभवत: उनका इशारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी की तरफ रहा हो। गौरतलब है कि उस समय दिल्ली प्रदेश में भाजपा पदारूढ़ थी और विधानसभा चुनाव निकट थे। प्याज का प्यार पाने के लिये तत्कालीन दिल्ली सरकार ने अनेक उपाय किये लेकिन इसके बावजूद सुश्री सुषमा स्वराज की अगुआई वाली भाजपा इस कदर धराशायी हुई कि आज तक दिल्ली प्रदेश में वापसी नहीं कर पायी है।

पंद्रह साल तक दिल्ली प्रदेश में राजकाज चलाने वाली शीला दीक्षित को भी आखिरकार प्याज ने खून के आंसू रुला दिया। अक्टूबर 2013 में प्याज की बढ़ती कीमतों पर तत्कालीन संसदीय नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने भविष्यवाणी की थी कि यहीं से शीला सरकार के पतन की पटकथा लिखी जायेगी और यही हुआ भी। सबने देखा कि भ्रष्टाचार के साथ-साथ महंगाई का मुद्दा एक बार फिर सत्ता परिवर्तन का साक्षी बना और अब वर्तमान में दिल्ली की 'आप सरकार' और भाजपानीत राजग सरकार सस्ता प्याज उपलब्ध करवाने की नाटकबाजियां कर रही हैं। दिल्ली में इस नाटकबाजी का आलम यह है कि तथाकथित सस्ते प्याज की दुकानों पर भाजपा और आप पार्टी के ही छुट भैय्ये नेता प्याज की एकाध बोरी पहुंचाते हैं और पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा प्याज खरीदकर फोटो खिंचायी जाती है। इस तरह सस्ता प्याज उपलब्ध कराने का अनुष्ठान प्रतिदिन राजधानी सहित देश के अन्य शहरों में संपादित हो रहा है। और महंगाई अपना मुंह सुरसा की तरह फैलाती जा रही है। इस आलेख के छपाई में जाने तक प्याज की कीमतें 80 रुपये प्रति किलो तथा अरहर की दाल की कीमत 150 रुपये प्रति किलो हो चुकी थी।

प्याज की कीमतों में उछाल के बीच सरकार ने 45 रुपये प्रति किलो की दर से 1,000 टन प्याज का आयात करने के लिए बोली को मंजूरी दी है। साथ ही विदेशों से और अधिक प्याज खरीदने का फैसला किया है। प्याज की इस खेप की 10 सितंबर तक भारत पहुंचने की उम्मीद जतायी जा रही है। ●

•‖ सुझाव

कृषि को लाभकारी बनाने के उपाय

सरकार ने राजस्व संबंधित कई उत्साही उपाय भी किए हैं। जिनके तहत कर में कमी, कर्ज में कटौती, विशेष खाद्य सामग्री में आयात-निर्यात शुल्क में छूट आदि शामिल हैं। इस तरह की पहल से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उत्साहित किया जा सकेगा। कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) भी विभिन्न कृषि और संशोधित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को लागू कर रहा है।

■ कृषि चौपाल

देश में कृषि को लाभकारी व्यापार बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें गुणवत्ता में सुधार और उपलब्धता के लिए आवश्यक साधन जुटाने के लिए कदम उठाया जाना प्रमुख हैं। इनके तहत खाद्य, बीज, बिजली और सिंचाई की सुविधाओं को प्राथमिकता में शामिल किया जा रहा है। इस पहलकदमी से कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाया जा सकता है।

सरकार किसानों को गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने और वितरण के लिए विभिन्न पद्धतियों, योजनाओं को लागू करने जा रही है। भारत सरकार ने इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो में किसानों को खेती और गैर-खेती के लिए अलग से विश्वसनीयता के साथ समुचित बिजली आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। डीडीयूजीजेवाई योजना में ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को भी शामिल किया गया है।

जल राज्य का विषय है। जल स्रोत-सिंचाई उपायों को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने और इसे बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को उनके अपने संसाधनों के हिसाब से प्राथमिकता देना होगा। राज्यों को भारत सरकार वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, उपलब्ध करा रही है। इसके तहत भारत सरकार जल निकाय योजना एंड सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत राज्यों को त्वरित गति सिंचाई लाभ कार्यक्रम, मरम्मत, पुनरुद्धार आदि सहायता मुहैया करा रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए देश में सिंचाई की संभावना को बढ़ावा दिया जा सकेगा साथ ही प्रभावी उपयोगिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों को लघु सिंचाई और सुरक्षित खेती के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय दीर्घकालिक कृषि लक्ष्य और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत एकीकृत बागवानी विकास के लिए ऑन-फार्म जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम) को महत्व दिया जा रहा है। लघु सिंचाई सहायता के लिए ओएफडब्ल्यूएम के तहत 35 प्रतिशत छोटे, अत्यंत छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत और अन्य किसानों के लिए 5 हेक्टेअर प्रत्येक किसान के हिसाब से सहायता दी जाएगी। यह सहायता 50 प्रतिशत और 35 प्रतिशत अलग-अलग क्षेत्रों में हैं जो ड्राट एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलैपमेंट प्रोग्राम और नार्थ इस्टर्न एण्ड हिमालयन रीजन के तहत आते हैं।

ग्रीन हाउस बनाने के लिए एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम के तहत फसलों की सुरक्षा के लिए 4000 वर्ग मीटर तक प्रत्येक किसान को 50 प्रतिशत की सहायता दी जाएगी। राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय किसान विकास योजना के तहत ऐसी तकनीकियों को बढ़ावा दे रही हैं।

सरकार कई योजनाओं को लागू कर रही है जिसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लक्ष्य (एनएफएसएम), एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम (एमआईडीएच), राष्ट्रीय आयलसीड एंड आयल पाम (एनएमओओपी) और ग्रामीण भंडारण योजना आदि शामिल हैं जो कृषि में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एकीकृत कृषि विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के निर्धारण का उपयोग करते हुए राज्यों में कृषि विकास योजनाओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का बड़ा संगठन बनाना है।

कृषि क्षेत्र को सरकार ने ऋण देने के लिहाज से प्राथमिकता के तौर पर चिन्हित किया है, जो बैंक के कुल ऋण का 18 प्रतिशत हिस्सा होगा। किसानों को फसल ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर दिया जाएगा। अगर किसान समय पर ऋण चुकता करते हैं तो उन्हें 3 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को गोदाम की रसीद पर फसल से पहले 6 महीने के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ऋण की शर्तें ठीक वही हैं, जो उन्हें आपात बिक्री से बचाती हैं। इस प्रकार अन्य उद्योगों की तुलना में किसानों को दिया जाने वाला फसल ऋण सबसे सहूलियत वाला है। यद्यपि फसल पूर्व ऋण पैदावार प्रबंधन, विपणन, प्रौद्योगिकी आदि पर संबंधित बैंक द्वारा स्पष्ट दर पर उपलब्ध हैं।

सरकार ने राजस्व संबंधित कई उत्साही उपाय भी किए हैं। जिनके तहत कर में कमी, कर्ज में

कटौती, विशेष खाद्य सामग्री में आयात-निर्यात शुल्क में छूट आदि शामिल हैं। इस तरह की पहल से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उत्साहित किया जा सकेगा। कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) भी विभिन्न कृषि और संशोधित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को लागू कर रहा है।

राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने, विभिन्न अभियानों, योजनाओं और परियोजनाओं का संचालन निम्नलिखित चरणों में किया जा रहा है-

● **बागवानी समेकित विकास अभियान**- इस अभियान के तहत सब्जियों और मसालों संबंधी बीज उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र को कुल लागत की शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। जहां तक निजी क्षेत्र का प्रश्न है, उसे लागत का 50 प्रतिशत सहायता के तौर पर दिया जाता है। यह सहायता प्रति लाभार्थी के संबंध में अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सब्सिडी के आधार पर ऋण से जुड़ी है।

● **राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी अभियान**- इस अभियान के तहत बीज और पौधे संबंधी उप-अभियानों से संबंधित कई योजनाएं और गतिविधियां चल रही हैं ताकि बीज क्षेत्र का विकास किया जा सके और अधिक उपज वाले बीजों का उत्पादन किया जा सके। ये बीज सभी प्रकार की फसलों के लिए हैं और इन्हें सस्ती दरों पर किसानों को उपलब्ध कराया जाना इस अभियान का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त बीज उत्पादकों को भी नई किस्मों की पौधों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी इस अभियान का लक्ष्य है।

● **कृषि विज्ञान केंद्र**- ये केंद्र भी बेहतर गुण वाले बीजों के उत्पादन और किसानों को ऐसे बीज प्रदान करने की गतिविधियों से जुड़े हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान उन्नत किस्म और संकर दलहनों, तिलहन, दालों, नकदी फसलों, सब्जियों, फल-फूलों, मसालों, चारा, वनौषधि, औषधीय पौधों और फाइवर फसलों के 1.57 लाख कुंतल बीजों का उत्पादन किया गया और इन्हें 2.61 लाख किसानों को उपलब्ध कराया गया।

● **तिलहनों और पाम ऑयल संबंधी राष्ट्रीय अभियान**- इस अभियान के तहत उन्नत बीज की खरीद, प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, नई प्रौद्योगिकियों संबंधी मिनी किट का वितरण, बीज संरचना विकास, पाम ऑयल और पेड़ों से प्राप्त होने वाले तिलहनों, जैव उर्वरकों, जिप्सम, पाइराइट, लाइमिंग, डोलोमाइट इत्यादि के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

● **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान**- इस अभियान के तहत किसानों को विभिन्न किस्मों और संकर फसलों से संबंधित ज्यादा उपज वाले प्रमाणित बीजों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है। धान, गेहूं, दालों और मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले पोषक तत्व भी सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा जैव उर्वरक भी सब्सिडी पर किसानों को दिया जाता है।

● **उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985**- उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों के नियमन के लिए 1985 में इस आदेश को लागू किया गया था। कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी उर्वरक का उत्पादन और आयात, बिक्री, भंडारण, बिक्री का प्रस्ताव, प्रदर्शन या वितरण नहीं कर सकता जो इस आदेश के तहत अधिसूचित नहीं है। राज्य सरकारों के अधिकृत उर्वरक निरीक्षक समय-समय पर उर्वरकों के नमूने लेते हैं और उनकी गुणवत्ता की जांच करते हैं। जहां तक आयातित उर्वरकों का प्रश्न है, केंद्र सरकार के उर्वरक निरीक्षक जहाजों या कंटेनरों से नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच करते हैं।

● रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन उर्वरक विभाग बेहतर यूरिया और फॉस्फेट तथा पोटाश संबंधी उर्वरकों की 22 किस्में सब्सिडी दरों पर किसानों को उपलब्ध कराता है जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के कड़े मानदंडों के अनुरूप होता है। ●

शुभकामनाओं सहित

दैवज्ञ डॉ. रामकिरण शास्त्री

पीएचडी (गोल्ड मेडलिस्ट) व पंचांग लेखक

ज्योतिषाचार्य व वास्तुविद (राजगुरु)

मिलने से पहले फोन पर संपर्क करें

एच-23ए, संजय पार्क के पास, शकरपुर, दिल्ली-110092

दूरभाष: 011-22431225, मोबाइल: 9868700815, फैक्स: 011-22418158

पानी चाहिए तो हिमालय बचाना होगा

1975 में अमेरिकी वैज्ञानिक वैलेस ब्रोकर ने अपने एक शोधपत्र में 'ग्लोबल वार्मिंग' फ्रेज का उपयोग किया। इसके चार साल बाद 1979 में विश्व जलवायु सम्मलेन आयोजित हुआ। इस सम्मलेन ने विश्व सरकारों से आग्रह किया कि जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका को समझें और इस पर अंकुश लगाएं।

सुरेश नौटियाल

अलवर, राजस्थान स्थित तरुण भारत संघ ने वर्ष 2007 में एक पुस्तक छापी थी- भारतीय जल दर्शन। इसके एक अध्याय- प्रलयकाल में जल का वर्णन- में पुराणों के हवाले से कहा गया है कि प्रलय का समय आने तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। किसी को अन्न नहीं मिलता, ब्रह्मांड गोबर के उपले की तरह धू-धूकर जलने लगता है... सब कुछ समाप्त हो जाता है... इसके बाद सैकड़ों वर्षों तक सांवर्तक वायु चलती है और इसके पश्चात असंख्य मेघ सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते हैं। सब कुछ जलमग्न हो जाता है...

नहीं मालूम कि यह पौराणिक आख्यान कितना सच होगा पर आज इस सबकी अनुभूति सी होने लगी है। वर्षा का चक्र बिगड़ गया है, अन्न की कमी हो ही चुकी है और पृथ्वी उपले की तरह तो नहीं जल रही पर तापमान खूब बढ़ गया है और पृथ्वी वैसा ही कुछ अहसास दे रही है।

जलवायु वैज्ञानिकों का एक वर्ग भी मानता है कि हर एक लाख वर्ष के बाद धरती 15-20 हजार वर्ष तक गर्म रहती है और वर्तमान जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया कोई 18 हजार वर्ष पहले शुरू हो गई थी। उनके अनुमान के अनुसार प्लेस्टोसीन हिमयुग के बाद यह प्रक्रिया आरम्भ हुई होगी। इस युग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया हिम की अत्यन्त मोटी परतों से ढंके पड़े थे।

यह भी अनुमान है कि करीब दो हजार साल बाद हिम युग की ओर लौटते समय खूब लम्बी वर्षा होगी और धरती अंततः एक लाख वर्ष के लिये हिमयुग में लौट जाएगी। कुल मिलाकर, इंटर-ग्लेशियल पीरियड कहा जाने वाला ज्यादा तापमान वाला यह वर्तमान काल मात्र 20 हजार वर्ष के आस-पास का होगा और करीब 18 हजार वर्ष इसे हो चुके हैं। इस धारणा में भी कितना दम है, नहीं मालूम।

बहरहाल, धरती के वातावरण और तापमान के बारे में फ्रांस के फिजिसिस्ट जोसेफ फूरी ने 1824 के आस-पास ग्रीनहाउस गैस के सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन किया। 1896 में स्वीडिश रसायन शास्त्री स्वान्ते अरेनियस ने कहा कि औद्योगिक युग शुरू होने के साथ ही सीओ-टू उत्सर्जन से ग्रीनहाउस प्रभाव बढ़ने लगा होगा। संभवतः यह भी किसी वैज्ञानिक ने पहली बार कहा कि मानव की गतिविधि से ग्रीनहाउस गैसें पैदा होती हैं।

बाद में 1938 में ब्रिटिश इंजीनियर गाई कैलेंडर ने जोड़ा कि जीवाश्म ईंधन जलने के

कारण धरती का तापमान बढ़ा है। ये बातें लम्बे हिमयुग और छोटे तापयुग की थ्योरी से बहुत मेल नहीं खाती हैं, लेकिन ज्यादा तार्किक और वैज्ञानिक लगती हैं।

इस तार्किक और वैज्ञानिक धारणा को आगे बढ़ाते हुए 1975 में अमेरिकी वैज्ञानिक वैलेस ब्रोकर ने अपने एक शोधपत्र में 'ग्लोबल वार्मिंग' फ्रेज का उपयोग किया। इसके चार साल बाद 1979 में विश्व जलवायु सम्मलेन आयोजित हुआ। इस सम्मलेन ने विश्व सरकारों से आग्रह किया कि जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका को समझें और इस पर अंकुश लगाएं।

इसके बाद तो बहुत कुछ हुआ। मसलन, 1987 में मांट्रियल प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया और 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने आईपीसीसी का गठन किया और 1990 में आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट सामने आई। 1992 में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मलेन हुआ और पांच साल बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत औद्योगिक देशों से कहा गया कि 1990 के दशक में गैसों के उत्सर्जन का जो स्तर था, उससे भी पांच फीसद कम उत्सर्जन का लक्ष्य वे 2008-2012 के बीच हासिल कर लें। अनेक देश इस लक्ष्य से सहमत नहीं थे। अमेरिका ने तो क्योटो प्रोटोकॉल से स्वयं को बाहर ही कर दिया था

वर्ष 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल धरातल पर आया पर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति में कोई सुधार नहीं है। विश्व की विवश जनता जलवायु परिवर्तन को लेकर होने वाले शिखर सम्मेलनों पर आस लगाए रहती है पर निकलता कुछ नहीं है। इस विषय पर पेरिस में कॉप-21 शिखर बैठक होने जा रही है पर अब तक दुनिया की सरकारों ने जो किया, उसे देखते हुए कॉप-21 से भी अधिक आशा करना मूर्खता ही होगा। लगता है कि गोलचक्कर काटकर हम बार-बार उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से यात्रा आरम्भ करते हैं।

जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे आयाम हैं पर यहाँ पानी पर ही बात करेंगे और वह भी हिमालय के पानी पर। उस हिमालय के बारे में जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा बर्फ अपने पास आज भी रखे हुए है। जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है और हिमालय के हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से वर्षा के पैटर्न में भी परिवर्तन हुआ है और जो हिमनद बचे हैं, उनके समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अर्थात, वर्षा कम होगी तो हिम कम बनेगा और जितना बनेगा भी उतना टिकेगा भी नहीं तापमान बढ़ने के कारण।

जलवायु परिवर्तन के कारण भारत और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र के अलावा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा कही जाने वाली नदियों के बेसिनों में रहने वाली करोड़ों की आबादी प्रभावित हो रही है। संकट इतना बढ़ गया है कि कोई नहीं जानता कि ये नदियां कब तक सदानीरा रहेंगी।

जिन 16 हजार से अधिक हिमालयी हिमनदों पर ये नदियां निर्भर हैं, वे स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका आकर छोटा हो रहा है और उनमें जो हिम है उसकी सघनता में भारी कमी आ रही है।

आईपीसीसी की 2007 की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मानव गतिविधियों के कारण बढ़े तापमान के कारण भविष्य में इन नदियों में जलवायु परिवर्तन के कारण पानी का बहाव काफी कम हो जाएगा और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

एक और खतरे की घंटी है। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक जे. श्रीनिवासन तो पहले ही कह चुके हैं कि बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारत के अधिकतम हिस्सों के सतही वायु तापमान में आधा डिग्री की वृद्धि हुई, लेकिन हिमालय क्षेत्र में यह वृद्धि एक डिग्री सेंटीग्रेड की रही। इसी वजह से हिमनदों के पिघलने की गति तेज हुई।

हिमालयी कृषि पर तापमान बढ़ने का बुरा असर आज कोई भी देख सकता है। हिमालयी राज्यों में कृषि लगभग समाप्त होने का कारण केवल वन्य पशुओं का हस्तक्षेप नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन प्रमुख है।

जलवायु परिवर्तन के कारण भारत और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र के अलावा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा कही जाने वाली नदियों के बेसिनों में रहने वाली करोड़ों की आबादी प्रभावित हो रही है। संकट इतना बढ़ गया है कि कोई नहीं जानता कि ये नदियां कब तक सदानीरा रहेंगी। जिन 16 हजार से अधिक हिमालयी हिमनदों पर ये नदियां निर्भर हैं, वे स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका आकर छोटा हो रहा है और उनमें जो हिम है उसकी सघनता में भारी कमी आ रही है।

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट 'हिमालयन ग्लेशियर्स' भले ही कहती हो कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी हिमनद प्रभावित हुए हैं। लेकिन, हिमनदों की टर्मिनस पोजीशन की नाप से पता चलता है कि हिमालय क्षेत्र के हिमनद पिछले कुछ दशकों से निरन्तर घट रहे हैं।

उदाहरण के लिये 1960 के दशक से लेकर अब तक सगरमाथा (एवरेस्ट) क्षेत्र की घटने की दर औसतन 5.5-8.7 एम/ए रही है। हाल के वर्षों में हिमनदों का आकार घटने की दर में और तेजी आई है। हिमनदों में बर्फ जमने में भी कमी आई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में 915 किमी क्षेत्र में हिमनदों के फोटो कुछ वर्षों तक कुछ-कुछ अन्तराल के बाद लिये गए और फिर तमाम फोटो का मिलान किया गया। पता चला कि 1999 और 2004 के बीच यहां के हिमनद 0.85 मीटर प्रतिवर्ष के औसत से घट गए थे। वर्ष 2000 में नासा ने चित्र उपलब्ध कराए थे और 2004 में फ्रांस के सेटेलाईट स्पाट-5 ने इसी इलाके के भिन्न कोणों से खींचे दो चित्र मुहैया कराए थे। स्टीरियोस्कोपिक फोटोग्रैमीट्रिक तकनीक से यह अध्ययन किया गया था।

उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा हिम हिमालय क्षेत्र में उपलब्ध है और यही खतरे में हो जाएगा तो फिर किसी की खैर नहीं। हजारों हिमनदों और सैकड़ों नदियों का स्रोत है हिमालय। एशिया की अनेक महत्त्वपूर्ण नदियां हिमालय से निकलती हैं।

पोलर यानी ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर 72 किमी लम्बा और 2 किमी चौड़ा सबसे बड़ा सियाचिन हिमनद भी हिमालय क्षेत्र में ही विद्यमान है। बल्तोरो, बायाफो, नूब्रा, हिस्पार, बंदरपूंछ, डोकरियानी, खतलिंग, दूनागिरि, तिपराबमक जैसे हिमनद सब हिमालय क्षेत्र में ही हैं। ये सब किसी-न-किसी नदी का स्रोत हैं।

वर्ष 2000 में विश्व बैंक और जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट 'इंटर-सेक्टोरल वाटर अलोकेशन, प्लैनिंग एंड मैनेजमेंट' के अनुसार 2050 तक केवल ब्रह्मपुत्र, बराक और तादरी से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में ही ठीक-ठाक पानी रह जाएगा। इस रिपोर्ट में फुटनोट के तौर पर यह बात भी कही गई है कि 2050 तक अधिकतर हिमनद लुप्त ही हो जाएंगे।

इस हिसाब से हिमनदों के लुप्त होने में 35 साल ही बचे हैं। राजेन्द्र पचौरी के अनुसार तो ये हिमनद 2035 तक ही गायब हो सकते हैं। और, इस हिसाब से तो बीस साल ही बचे हैं। ऐसा होगा तो गंगा बेसिन में रहने वाले करोड़ों लोगों का क्या होगा? चीन के अनुसंधानकर्ताओं ने तिब्बत में जो शोध किया है, उसके अनुसार तो हिमनदों के तेजी से पिघलने से उनकी स्थिति ही खराब नहीं हो रही है बल्कि बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो गई है।

सन्देश अन्त में यही है कि हमारे पास हिमालय को बचाने का समय ज्यादा नहीं है। ●

सरकारी स्कूल और सरकार

■ **प्रेमपाल शर्मा**

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अद्‌भुत फैसला सुनाया है कि तमाम राजनेताओं और सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने होंगे। यदि यह आदेश कार्यान्वित हो गया तो देश की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं अपितु पूरी व्यवस्था का कायाकल्प हो जाएगा। 'जाके पांव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई' कोर्ट ने इसी मुहावरे को साकार करते हुए यह निर्णय दिया है। वरना स्कूलों में नकल हो तो सरकार की बला से। बच्चों के सिर पर छत न हो तो कोई असर नहीं। लड़कियों के लिए शौचालय न हो तो इनके चेहरे पर शिकन नहीं, क्योंकि उनके बच्चे तो अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वहां से फुर्र से उड़ जाएंगे इंग्लैंड, अमेरिका। नेता और अफसर दोनों मौसेरे भाई हैं कोर्ट की नजरों में। अच्छा हुआ कोर्ट ने दोनों को एक साथ पकड़ा है।

यहां पहले एक अनुभव। सरकार और सरकारी स्कूलों के खिलाफ गुस्से का ऐसा तीखा अनुभव मेरी कल्पना से बाहर था। दिल्ली में पटरी पर सब्जी बेचने वाले को मैंने सुझाव दिया कि वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल कराए। उसका आक्रोशित प्रति प्रश्न था, 'आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? आप तो सरकारी कर्मचारी हैं फिर सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते। क्या हम नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में?' खिसियाने के सिवाय मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। यह है सरकारी व्यवस्था का आलम। यानी जहां जितनी ज्यादा सरकार उतना ही निकम्मापन, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, मुकदमे, जातिवाद, अहंकार। सरकारी कर्मचारियों ने कभी अपनी खोल से बाहर झांकने की कोशिश ही नहीं की। क्यों करें? जब सारी सुविधाओं के साथ, नौकरी की सुरक्षा है। तकनीक ने सारी सुविधा दी हैं। तुरंत टाइपिंग, फोटोकापी, ई-मेल लेकिन फाइलों की स्पीड और धीमी होती गई। सौ साल में पढ़ने-पढ़ाने के रंग-ढंग सुधरने के बजाय और बिगड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के अस्पतालों में कभी कुत्ते नवजात बच्चों को खा जाते हैं तो इसी माह में लखनऊ मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट खराब होने से जच्चा-मां की मौत हो जाती है। इसीलिए तो कभी-कभी लोग कहते हैं कि ऐसी सरकार होने से तो न होना अच्छा। अच्छा हो यदि कोर्ट का यह आदेश दूसरे सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में सरकारी अस्पतालों पर भी लागू हो। क्या डॉक्टरों का काम सिर्फ मरीजों को निजी अस्पतालों की तरफ भेजने तक ही सीमित होकर रह गया।

हमारे कई दोस्तों का तर्क है कि सरकारी दक्षता में कोई कमी नहीं है। क्या वाकई? यदि ऐसा है तो फिर क्यों नहीं ये सब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को मानते? फिर तो इस आदेश से इन सब की बांछें खिल जानी चाहिए। मुंह क्यों लटका रहे हैं? क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय उन्हें सजा जैसा लग रहा है? आखिर इस दुर्गति तक तुम्हीं ने तो पहुंचाया है। हर शाख की यही दास्तान है। कभी रेलवे के अपने चार सौ से ज्यादा स्कूल थे। एक से एक अच्छे। आज मुश्किल से सौ स्कूल बचे हैं और वे भी अंतिम सांस गिन रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मुगलसराय के रेलवे स्कूल में पढ़े थे तो सैकड़ों रक्षा रेलवे के अफसर भी। मसूरी का मशहूर स्कूल ओकग्रोव 1888 में अंग्रेजी सरकार ने रेलवे के अफसरों के लिए बनाया था। आज शायद ही कोई रेल का अफसर वहां पढ़ाता हो अपने बच्चों को। काश! कोर्ट यह आदेश भी दे कि केंद्र सरकार समेत रेलवे के कर्मचारी भी अपने बच्चों को रेलवे के स्कूलों में ही पढ़ाएंगे तो ये भी रातों-रात सुधर जाएंगे। आखिर ये शिक्षक और स्कूल भी तो उसी देश के हैं जिसके दिल्ली मेट्रो, कोंकण रेलवे और बैंक के कर्मचारी। ये भी तो ठीक काम कर रहे हैं। व्यवस्था तभी सुधरेगी जब इसका क्रीमीलेयर सुधरेगा। इसमें सरकारी कर्मचारी और राजनेताओं की अच्छी तादाद है। दुनिया भर में राजा के रसोइयों को अपना बनाया हुआ खाना खुद खाना पड़ता है। हमारे यहां सरकारी कर्मचारी सिर्फ दूसरों के लिए ही नियम बनाते हैं और फिर उतनी ही बेशर्मी से कह देते हैं कि ये शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। क्या कभी आम लोगों की समस्याओं को जानने-समझने की कोशिश उन्होंने की? वे हारकर महंगे स्कूल की तरफ उसी निराशा, गुस्से में जाते हैं जैसे दिल्ली का सब्जी वाला। क्या कभी किसी राजनीतिक पार्टी, ब्राह्मण सभा, दलित उद्धारक मंच या आयोग ने यह पूछा कि हमारी सरकार इतनी सुस्त गैर-जिम्मेदार क्यों है? क्यों भूलते हो कि सरकार बचेगी तो देश बचेगा और उसी में हम सब। वरना सभी डूबने के कगार पर हैं। यहां पर दुष्यंत कुमार की एक गजल की पंक्ति याद आ रही है- मौत की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं।

लगभग तीन वर्ष पहले तमिलनाडु के एक नौजवान कलक्टर ने लीक से हटकर एक आदर्श प्रस्तुत किया था। अपनी चार वर्षीय बेटी के दाखिले के लिए वह आम जनता की तरह सरकारी स्कूल की लाइन में लगे थे। किसी ने पहचान लिया और जैसा कि स्वाभाविक था अफरा-तफरी मच गई। कलक्टर साहब का जवाब था- 'मैं ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मेरे बच्चे भी आम नागरिक की तरह वहीं पढ़ेंगे।'

आरक्षण, संसद, न्यायपालिका के प्रसंग में संविधान की दुहाई देने वालों से भी प्रश्न है कि क्या ऐसी असमान शिक्षा से संविधान की आत्मा का हनन नहीं होता? समान शिक्षा और अपनी भाषा के लिए हम सड़कों पर संघर्ष में क्यों नहीं उतरते? लगभग तीन वर्ष पहले तमिलनाडु के एक नौजवान कलक्टर ने लीक से हटकर एक आदर्श प्रस्तुत किया था। अपनी चार वर्षीय बेटी के दाखिले के लिए वह आम जनता की तरह सरकारी स्कूल में लाइन में लगे थे। किसी ने पहचान लिया और जैसा कि स्वाभाविक था, अफरा-तफरी मच गई। कलक्टर साहब का जवाब था- 'मैं ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मेरे बच्चे भी आम नागरिक की तरह वहीं पढ़ेंगे।' बताते हैं कि इस घटना के बाद न केवल उस स्कूल, बल्कि तमिलनाडु के अन्य स्कूलों में भी आश्चर्यजनक सुधार हुए हैं। क्या हिंदी पट्टी और दूसरे राज्यों में भी बिना कोर्ट के आदेश के कोई ऐसा उदाहरण बनेगा? निजीकरण की आंधी का सबसे बुरा असर शिक्षा पर पड़ा है। बीस बरस पहले 80 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में थे। आज केवल 50 प्रतिशत रह गए हैं। इसलिए सरकारी अफसर, नेता और निजी स्कूलों का प्रबंधन हाई कोर्ट के आदेश को हर हाल में चुनौती देंगे। समान शिक्षा के सभी पैरोकारों को राष्ट्रीय स्तर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के पक्ष में तुरंत गोलबंद और सक्रिय होने की जरूरत है।

-साभार: दैनिक जागरण

रेशम उत्पादन में चीन को चुनौती देता उत्तराखंड

रेशम उत्पादन को पहाड़ के किसान अपनी खेती के साथ-साथ अपना सकते हैं। किसानों को अपना रेशम कहीं बेचने के लिये भी ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब वे अपना उत्पाद उत्तराखंड रेशम फेडरेशन को बेच सकते हैं।

■ **कृषि चौपाल**

रेशम उत्पादन में उत्तराखंड बहुत जल्द चीन को चुनौती देने की स्थिति में आ जायेगा। वर्ष 2014-15 में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कुल 47,081 किलोग्राम रेशम का उत्पादन किया गया। उत्तराखंड रेशम फेडरेशन द्वारा दिये गये प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में राज्य गठन के उपरांत पिछले दो सालों के दौरान रेशम का उत्पादन लगभग दो गुना हो चुका है।

रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये अब सर्वाधिक महंगे मूंगा रेशम के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मूंगा रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये संबंधित विभाग ने कमर कस ली है। मूंगा रेशम काफी महंगा होता है। प्रदेश के सभी जनपदों में रेशम विभाग द्वारा रेशम उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिये व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रदेश के सीमांत जनपद चंपावत के मुड़ियानी में उद्यान विभाग द्वारा उद्यान भूमि पर तकनीकी फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

उत्तराखंड में रेशम उत्पादन की संभावनाओं के मद्देनजर वर्ष 1858 में तत्कालीन ब्रिटिश कैप्टन थॉमस हटन ने मसूरी में रेशम कीट पालन का सर्वप्रथम परीक्षण किया। इस परीक्षण के काफी उत्साहजनक परिणाम आये। यह भारत में रेशम कीट पालन का तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया प्रथम परीक्षण था। इससे उत्साहित होकर देहरादून के निकट गांव माजरी में 1881 में रेशम उद्योग की शुरुआत की गयी। रेशम का उत्पादन आजादी के बाद भी उत्तराखंड में जारी रहा, परंतु उत्तर प्रदेश में रहते हुए इस व्यवसाय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। पिछली सदी के सातवें दशक के अंत तक उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 507 एकड़ रकबे में रेशम कीट पालन और रेशम का उत्पादन हो रहा था।

- मूंगा रेशम की वर्ष भर में ली जा सकती हैं 6-7 फसलें।
- जबकि शहतूत से वर्ष भर में केवल दो-तीन फसलें ही संभव हो पाती हैं।
- शहतूत रेशम का धागा 2,100 रुपये किलो है जबकि मूंगा रेशम का धागा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,500 से 4,000 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत पर बिकता है।

उत्तराखंड राज्य गठन के बाद इसके उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाना संभव हुआ और प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए रेशम फेडरेशन की स्थापना की गयी। फेडरेशन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में वर्तमान में लगभग 2,14,000 किलोग्राम रेशम का उत्पादन हर साल किया जा रहा है। इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये रेशम ग्रामों की स्थापना की गयी है और वर्तमान में 915 रेशम ग्रामों के कुल 5,511 किसान रेशम उत्पादन से सीधा जुड़े हुए हैं। यह उत्तराखंड के रेशम किसानों का ही पुरुषार्थ है कि आज भारत रेशम उत्पादन में अपने पड़ोसी चीन के एकाधिकार को विश्व स्तर पर चुनौती देने की स्थिति में आ गया है।

सबसे ज्यादा उत्साह रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों में इस बात को लेकर है कि अब रेशम की सबसे मंहगी किस्म मूंगा रेशम का उत्पादन भी उत्तराखंड में किया जाना प्रारंभ हो गया है। अब केवल शहतूत से ही नहीं अपितु ऐरी, कौल, बांज व सुयालू से भी साल भर मूंगा रेशम का उत्पादन किया जा सकना संभव हो गया है। इसकी परीक्षण उत्पादन इकाई बागेश्वर में स्थापित की गयी है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूंगा रेशम महंगी होने के बावजूद ज्यादा पसंद की जाती है। वर्तमान में बागेश्वर में परीक्षण प्रोजेक्ट के तहत कौला एवं सुयालू की पौधे कपकोट के कुड़कनी, पनौरा, देवलचौड़ में सफलतापूर्वक उगाये जा रहे हैं और उन पर रेशम कीट पालन भी किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा शहतूत के अलावा अन्य पौधों पर रेशम कीट पालन की संभावनाओं को तलाशने के नजरिये से एक सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वेक्षण के दौरान बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल तथा अल्मोड़ा जनपद के अनेक इलाकों में सुयालू के वृक्ष और पौधे प्राकृतिक स्वरूप में उपलब्ध हुये। इसी से उत्साहित होकर उत्तराखंड में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गयी। उत्तराखंड की आबोहवा भी रेशम उत्पादन के लिये काफी मुफीद मानी गयी है।

रेशम उत्पादन को पहाड़ के किसान अपनी खेती के साथ-साथ अपना सकते हैं। किसानों को अपना रेशम कहीं बेचने के लिये भी ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब वे अपना उत्पाद उत्तराखंड रेशम फेडरेशन को बेच सकते हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि रेशम उत्पादन से एक ओर जहां किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में रेशम उत्पादन के लिये जरूरी पौधों के रोपण को बढ़ावा मिलने से पर्यावरण में भी सुधार आयेगा। ●

कृषिक्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं और शिक्षा

■ कृषि चौपाल

कृषि-व्यवसाय आज काफी विस्तृत हो गया है। इस व्यवसाय की पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्तियों की विपणन, वाणिज्य वस्तु विशेषज्ञों, विक्रय प्रतिनिधियों, कृषि अर्थशास्त्री, लेखाकार, वित्त-प्रबंधकों तथा जिंस व्यापारियों के रूप में आवश्यकता होती है और जिन्हें इन क्षेत्रों में रोजगार पर रखा जाता है। केवल ये ही नहीं, इनके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं जहां आप सुनहरा भविष्य बना सकते हैं।

यदि आप कृषि के विज्ञान पक्ष में करियर बनाने के इच्छुक हैं तो पशु विज्ञान इस संबंध में विशेष क्षेत्र है। पशु वैज्ञानिक मांस, मछली तथा डेयरी उत्पादों के उत्पादन तथा प्रसंस्करण में सुधार लाने के अनुसंधान कार्य करते हैं। वे पालतू बनाए गए फार्म पशुओं, आनुवंशिक, पोषण, पुनर्जनन, वर्धन तथा विकास का अध्ययन करने के लिए जैवप्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। कुछ पशुवैज्ञानिक पशुधन खाद्य उत्पादों का निरीक्षण तथा श्रेणीकरण करते हैं, पशुधन खरीदते हैं या तकनीकी बिक्री अथवा विपणन में कार्यरत हैं। विस्तार एजेंटों, वैतनिक या सलाहकार के रूप में पशु वैज्ञानिक कृषि-उत्पादकों को पशु आवासन सुविधाओं को उपयुक्त रूप से बढ़ाने, अपने पशुओं की मृत्यु-दर कम करने, अपशिष्ट पदार्थों के उपयुक्त रूप से हस्तन या दूध या अंडों जैसे पशु-उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के उपायों पर सलाह देते हैं।

कृषि-व्यवसाय आज काफी विस्तृत हो गया है। इस व्यवसाय की पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्तियों की विपणन, वाणिज्य वस्तु विशेषज्ञों, विक्रय प्रतिनिधियों, कृषि अर्थशास्त्री, लेखाकार, वित्त-प्रबंधकों तथा जिंस व्यापारियों के रूप में आवश्यकता होती है और जिन्हें इन क्षेत्रों में रोजगार पर रखा जाता है। केवल ये ही नहीं, इनके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं। करियर की अन्य संभावनाएं संचार तथा शिक्षा, समाज सेवा और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में विद्यमान हैं। यद्यपि खाद्य उत्पादन कृषि उद्योग का मुख्य क्षेत्र है, किंतु जैसा कि हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं वस्त्र तथा रेशा भी कृषि उद्योग के एक बहुत बड़े भाग का हिस्सा है।

अवसर, तैनाती तथा संभावनाएं

भारत, विश्व में वनस्पति तथा फलों के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है और इसका पुष्पोत्पादन आधार भी उतना ही मजबूत है। आज भारत की कृषि सार्वभौम हो गई है तथा भारतीय कृषि को विश्व-अर्थव्यवस्था का अंग बनाने के दृष्टिकोण को समर्थन मिल रहा है। मशरूम से लेकर फूलों, मसालों, अनाज, तिलहन तथा वनस्पति जैसी कृषि सामग्रियों के एक निर्यातक के रूप में भारत के पास बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। कृषि-उत्पादों के निर्यात के लिए सरकारी समर्थन मिलने से उन अग्रणी विदेशी कंपनियों और संस्थाओं में पर्याप्त रुचि उत्पन्न हुई हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी अंतरण करार, विपण न-समझौते तथा प्रबंध एवं व्यापार संबंध स्थापित किए हैं। बागवानी अपनी पुष्पोत्पादन शाखा के साथ निर्यात कार्यकलापों, का आकर्षण बन गई है। गुलाब, कार्नेशन्स, ग्लेडिओली, गुलदाउदी, चमेली तथा अन्य ऊष्णकटिबंधी पौधों एवं फूलों का भारत द्वारा किया जा रहा निर्यात नई ऊंचाईयों को छू रहा है। फलों तथा वनस्पति के क्षेत्र में भी देश के पास बहुत बड़ी निर्यात-संभावनाएं हैं। कृषि तथा बागवानी के व्यवसायीकरण के साथ ही वैतनिक कार्यों तथा उद्यम चलाने के विविध अवसर हैं। जहां एक ओर विभिन्न सरकारी तथा निजी संस्थाओं में वैज्ञानिक कार्य एक नियमित आय प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उद्यम आकर्षक लाभ का सृजन कर सकते हैं।

होटल, स्वास्थ्य देखरेख संस्थाएं तथा हॉलीडे रिसोर्ट्स अपने आस-पास के परिवेश को सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए भूदृश्यांकनकर्ताओं तथा उद्यान विज्ञानियों की सेवाएं लेते हैं। पुष्प विक्रेता तथा पौधशालाएं (नर्सरी), विशेष रूप से महानगरों में, लाभप्रद व्यवसाय कर रही हैं। उपनगरों के फार्महाउस घरेलू मंडी के लिए महत्वपूर्ण वितरक बन गए हैं।

कृषि विश्वविद्यालय

विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय, विशेषज्ञता से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न पदों के लिए कृषि स्नातकोत्तर व्यक्तियों की भर्ती करते हैं। नीचे कुछ ऐसे पद दिए गए हैं, जिन्हें सामान्यत: कृषि विश्वविद्यालय विज्ञापित करते हैं- पादप रोगविज्ञानी, ब्रीडर, कृषि मौसम विज्ञानी, आर्थिक वनस्पति विज्ञानी, अनुसंधान इंजीनियर, शस्य विज्ञानी, वैज्ञानिक, एसोशिएट प्रोफेसर।

अन्य पद हैं - सहायक वैज्ञानिक, सहायक प्रोफेसर, जिला विस्तार विशेषज्ञ, सहायक पादप रोगविज्ञानी, सहायक बैक्टीरियोलोजिस्ट, सहायक वनस्पति विज्ञानी सहायक मृदा रसायन, सहायक मृदा विज्ञानी, सहायक आर्थिक वनस्पति विज्ञानी, सहायक फल ब्रीडर, सहायक बीज अनुसंधान अधिकारी, कनिष्ठ कीट विज्ञानी, सहायक ब्रीडर, कनिष्ठ ब्रीडर, कनिष्ठ शस्य विज्ञानी, सहायक पौधा वनस्पति विज्ञानी, बीज उत्पादन सहायक, सहायक अनुसंधान वैज्ञानिक, सहायक पादप शरीर विज्ञानी।

उक्त सभी पदों के लिए योग्यता संबंधित विषय में पीएडी व स्नातकोत्तर उपाधि हैं। तथापि, कुछ पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव अपेक्षित होता है तथा सहायक प्रोफेसर और अन्य अध्यापन पदों के लिए उम्मीदवार नेट परीक्षा (वि.अ.आ./वै.औ.अ.प./भा.कृ.अ.प./अन्य द्वारा संचालित) उत्तीर्ण होने चाहिए। वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में पीएचडी एक अनिवार्य अपेक्षा होती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

कोई भी व्यक्ति अनुसंधान के क्षेत्रों में भा.कृ.अ.प. के अंतर्गत करियर चुन सकता है, कोई भी व्यक्ति एक कृषि अनुसंधान वैज्ञानिक (कृ.अ.वै.) बन सकता है। इन पदों पर भर्ती कृ.अ.वै/नेट परीक्षा - जो वैज्ञानिक पद तथा लेक्चरशिप के लिए संचालित की जाती है, के माध्यम से की जाती है। इस समय पहली बार कृ.वै.भ.बो. (ए.एस.आर.बी.) ने कृ.अ.वै./नेट परीक्षा मानदण्ड में परिवर्तन किया है। वर्तमान में कृ.अ.वै./नेट (प्रारंभिक और मुख्य) परीक्षा कृ.वै.भ.बो. द्वारा संचालित की जाया करेंगी। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे केवल उन्हें ही मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कृ.अ.वै. के साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

भा.कृ.अ.प. में भी कृषि स्नातकों, स्नातकोत्तरों तथा डॉक्टरेट डिग्रीधारियों के लिए बेहतर विकल्प है। स्नातक डिग्रीधारी व्यक्ति संबंधित विषय में कुछ तकनीकी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। टी-5 (तकनीकी अधिकारी) स्तर के कुछ तकनीकी पद भी स्नातकोत्तर व्यक्ति के लिए बेहतर विकल्प हैं और तकनीकी (टी-5) पद से उच्च पद जैसे टी-6 आदि तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में विषय विशेषज्ञ के पद पीएच.डी. डिग्रीधारियों के लिए बेहतर अवसर हैं।

राज्य कृषि विभाग

कोई भी व्यक्ति कृषि विकास अधिकारी (कृ.वि.अ.) बन सकता है। यह पद ब्लॉक विकास अधिकारी (ब्लॉ.वि.अ.) के समकक्ष है। इन पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग/संबंधित विभाग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के आधार पर की जाती है।

आप निजी क्षेत्र के संगठनों में अनुसंधान वैज्ञानिक के पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वहां, आपकी सेवाएं निजी प्रयोगशालाओं में भी उपयोग में ली जा सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित वांछनीय योग्यता पीएच.डी. है।

बैंकिंग क्षेत्र

कृषि विज्ञान से बी.एससी. करने के बाद आप, बैंकों, वित्त क्षेत्र, बीज कंपनियों, प्रजनन फार्मों, मुर्गीपालन फार्मों तथा बीमा कंपनियों आदि में सेवा के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक स्नातकोत्तर व्यक्तियों को कृषि तथा समवर्गी क्षेत्रों में फील्ड ऑफिसर, ग्रामीण विकास अधिकारी तथा कृषि एवं परिवीक्षाधीन अधिकारी बनने के अवसर देते हैं।

बीज कंपनियां

बीज कंपनियों में बीज अधिकारी, वैज्ञानिक (प्रजनन, पादप संरक्षण आदि) के रूप में कार्य ग्रहण करने और तकनीकी तथा अन्य फील्ड

रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय

1. आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, (ए.एन.जी.आर.ए.यू.), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
2. कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर
3. आणन्द, कृषि विश्वविद्यालय, आणन्द, गुजरात
4. असम कृषि विश्वविद्यालय (ए.ए.यू.), जोरहाट, असम-785013
5. बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (बी.सी.के.वी.वी.), पश्चिम बंगाल
6. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बी.ए.यू.) रांची, झारखंड
7. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सी.ए.यू.), इम्फाल, मणिपुर
8. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई
9. डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय (पी.के.वी.), अकोला, महाराष्ट्र
10. डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी (आई.एस.पी.यू.एच. एंड ई.), हिमाचल प्रदेश
11. गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जी.वी.पी.ए.यू. एवं टी) पंतनगर, उत्तराखंड
12. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर दांतीबाड़ा (बनासकांठा)
13. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
14. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर
15. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आई.जी.के.वी.वी.), कृषकनगर, रायपुर
16. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, (जे.एन.के.वी.वी.), जबलपुर, मध्य प्रदेश
17. जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, (जे.ए.यू) जूनागढ़, गुजरात
18. कोंकण कृषि विद्यापीठ (के.के.वी.), डोपाली, महाराष्ट्र
19. केरल कृषि विश्वविद्यालय (के.ए.यू.), केरल
20. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एम.पी.यू.ए.टी.), उदयपुर, राजस्थान
21. महाराष्ट्र पशु विज्ञान एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय (एम.ए.एस.एफ.एस.यू.), नागपुर, महाराष्ट्र
22. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ (एम.पी.के.वी.), महाराष्ट्र
23. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय (एम.ए.यू.) परभणी, महाराष्ट्र
24. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नरेन्द्र नगर, फैजाबाद
25. नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, (एन.ए.यू.), नवसारी, गुजरात
26. राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
27. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
28. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
29. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
30. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (आर.ए.यू.), पूसा, समस्तीपुर, बिहार
31. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एस.वी.बी.पी.यू.ए.टी.), मेरठ
32. सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, (एस.ए.डी.ए.यू.), गुजरात
33. शेर-ए-कश्मीर कृषि मात्स्यिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एस.के.यू.ए.एस.एवं टी.), जम्मू
34. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)
35. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टी.एन.ए.यू.), कोयम्बत्तूर, तमिलनाडु
36. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (टी.एन.वी. एवं ए.एस.यू.), चेन्नई
37. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जी.के.वी.के., बंगलौर
38. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि नगर, धारवाड़, कर्नाटक
39. उ.प्र. पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा, उ.प्र.
40. उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय (यू.बी.के.यू.), पश्चिम बंगाल
41. पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय (डब्ल्यू.बी.यू.ए. एवं एफ.एस.), कोलकाता

कार्य के भी अवसर हैं। इनके अतिरिक्त फार्म प्रबंध, भूमि मूल्यांकन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा लेवलिंग के क्षेत्रों में भी अवसर विद्यमान हैं। सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में विपणन एवं विक्रय, परिवहन, फार्म उपयोगिता भंडारण और स्टोरेज के क्षेत्रों में भी कार्य दिए जाते हैं।

आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.

दूतावासों में कृषि विशेषज्ञ तथा अन्य पद पर कार्य-भार ग्रहण करने के भी अवसर होते हैं। कृषि क्षेत्र के अनुसंधान से जुड़े कार्य करने के लिए आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी. भी एक संगठन है।

कृषि-उद्योग क्षेत्र में करियर के अवसर

कृषि-उद्योग उत्पादन से जुड़े व्यक्तियों के अतिरिक्त वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों, विक्रय तथा विपणन से संबंधित व्यक्तियों को कार्य देता है। कार्य के वे क्षेत्र जो उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, अन्न एवं बीज प्रसंस्करण, मांस तथा कुक्कुट पैकिंग, डेयरी प्रसंस्करण, वसा एवं तेल, वस्त्र, रेशा, मशीनरी एवं उपकरण, उर्वरक एवं चूना, पेस्टिसाइड्स, हर्बीसाइड, चारा-विनिर्माण, निर्माण आदि से संबंधित होते हैं, जिनके लिए संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

कृषि इंजीनियरी

इंजीनियरी की कृषि शाखा अन्य शाखाओं की तुलना में कार्य के बेहतर अवसर देती है। इस शाखा के कार्य कृषि में सुधार, सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्निर्माण तथा कृषि मशीनरी, पावर, फार्म संरचनाओं, मृदा तथा जल संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि के लक्षित गतिविधियों से जुड़े होते हैं।

कृषि प्रबंध

इस अपेक्षाकृत नए क्षेत्र में भी कार्य के अवसर हैं। कृषि से संबंधित रोजगार के मौके तथा चाय बागानों में भी उपलब्ध होते हैं।

सेवा क्षेत्र

बीजों, रसायनों, उर्वरकों की असली कीमतों पर, पर्याप्त तथा समय पर आपूर्ति करने के कार्यों को विनियमित करने और जनता द्वारा खपत के लिए आपूर्ति किए गए खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को भी विनियमित करने के लिए रसायनों, पादप तथा पशु संगरोध निरीक्षण, ग्रेड तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कृषि तकनीशियनों, कृषि सलाहकारों, कृषि सांख्यिकीविदों, पशु चिकित्सकों, विदेश कृषि सेवा, निरीक्षण तथा विनियमन, खाद्य एवं चारे, बीज एवं उर्वरक से जुड़े व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर कई ऐसी सरकारी एजेंसियां हैं जो कृषि कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) तथा कृषि के विकास से संबंधित कुछ अन्य एजेंसियां भी परामर्शदाताओं को नियुक्त करती हैं।

निगम

विभिन्न निगम जो कृषि वैज्ञानिकों को कार्य का अवसर प्रदान करते हैं उनमें राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य फार्म निगम, भंडार निगम और खाद्य निगम शामिल है। ●

खेती से विमुख होते किसान

■ कृषि चौपाल

एक ओर देश में दूसरी हरित क्रांति का नारा जोर-शोर से सरकार द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, दूसरी ओर अन्नदाता वर्ग का खेतीबाड़ी से विमुख होने का सिलसिला लगातार जारी है। हालिया जारी कृषिगत जनगणना के विश्लेषण ों पर आधारित एक प्रतिवेदन के मुताबिक पिछले एक दशक के दौरान किसान बहुल राज्य महाराष्ट्र के दो लाख से ज्यादा किसान परिवारों ने खेती-किसानी छोड़कर अन्य आजीविकाओं को अपना लिया है। प्रतिवेदन यह भी कहता है कि कृषि इन परिवारों का मुख्य व्यवसाय ही नहीं अपितु एकमात्र रोजगार भी था, जिस पर कि वे अपनी आजीविका के लिये निर्भर करते थे।इस रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में और अधिक किसानों के खेतीबाड़ी से मुंह फेरने की आशंका जतायी है। उनका मानना है कि आय के स्रोतों की वैकल्पिक उपलब्धता और साल-दर-साल खेती में बढ़ रहे नुकसान के कारण किसानों का खेतीबाड़ी से मोह भंग होने लगा है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि वे अब खेती के साथ द्वितीयक व्यवसाय के तौर पर भी जुड़े रहना नहीं चाहते हैं।

महाराष्ट्र के कृषि एवं राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने चिंता व्यक्त करते हुए खबरनवीसों को बताया कि ताजा कृषि जनगणना के नतीजे निराश करने वाले हैं। गौरतलब है कि कृषि जनगणना 2010-11 के ऑकड़ों के मुताबिक 2005-06 के दौरान राज्य में एक करोड़ 37 लाख किसान खेतीबाड़ी से आजीविका के लिए सीधे जुड़े हुए थे, परंतु जहां 2005 से 2011 के मध्य 6 वर्षों के दौरान एक लाख किसानों ने खेती को छोड़कर अन्य व्यवसायों को अपनाया वहीं 2011 से 2012 की सिर्फ एक वर्ष की अवधि के दौरान एक लाख से भी ज्यादा किसानों ने खेती को त्याग कर अन्य क्षेत्रों में रोजगार को अपना लिया। जानकारों का कहना है कि कारोबारी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी, उद्योगों के विस्तार, सड़कों के निर्माण तथा भूतल परिवहन सुविधाओं के विस्तार एवं अन्य विनिर्माण कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर किये गये भूमि अधिग्रहण के कारण खेतों की जोतों का आकार निरंतर घटता जा रहा है।

इधर कृषि मंत्रालय के अधीन कार्यरत उपक्रम-लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) की ओर से किसानों को खेती किसानी के प्रति उत्साहित करने के लिए आजकल एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत् विभिन्न राज्यों में जिला स्तर पर संचालित वैंचर कैपिटल असिस्टैंस स्कीम के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। एसएफएसी के सूत्रों ने बताया कि जागरुकता अभियान के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से किसानों को, कृषि के विभिन्न आधुनिक पहलुओं की जानकारी देते हुए विभिन्न बैंकों से वित्तीय सहायता भी दिलायी जायेगी। इसके अलावा किसानों की, खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु भी प्रयास किये जाएंगे। ●

हथकरघा
स्वरोजगार का बेहतर विकल्प

■ कृषि चौपाल

इस वर्ष से हथकरघा दिवस मनाने की शुरूआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हथकरघा गरीबी से लड़ने में सहायक हो सकता है। उन्होंने विगत वर्ष 2 अक्टूबर को देश के लोगों से अपने परिधान और अन्य इस्तेमाल किये जाने वाले कपड़ों में कम से कम एक अदद खादी को भी शामिल करने की अपील की थी। हथकरघा दिवस पर चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2013 के मुकाबले 2014-15 के दौरान खादी की बिक्री में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस शुरूआत को सकारात्मक और स्वागत योग्य माना जाना चाहिये। हमारे विभिन्न प्रकार के परिधानों के लिये कपड़ा आदि बुनने का यह पर्यावरण मित्र कौशल आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। मानव सभ्यताओं ने जब बुना हुआ कपड़ा इस्तेमाल कर परिधान धारण करने शुरू किये तो सबसे पहले हाथ से बुना हुआ कपड़ा इस्तेमाल करने के सबसे पुराने प्रमाण भारत में ही मिलते हैं। लेकिन भारत की यह अनुपम विरासत आज सरकारी सहायताओं की मोहताज होकर रह गयी है। भारत के कपड़ा उत्पादन में आज भी लगभग 11 फीसदी हिस्सेदारी हथकरघा क्षेत्र की है जबकि दो दशक पूर्व तक यह 23 फीसदी से भी ज्यादा थी। यानि विगत दो दशकों के दौरान हथकरघा उद्योग में 50 फीसदी से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। आज भी लगभग 43.5 लाख बुनकरों और सहायकों की रोजी-रोटी हथकरघा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। देश में लगभग 23 लाख 75 हजार हथकरघा इकाईयां कार्यरत हैं। हथकरघा उद्योग को हतोत्साहित करने के कारणों में सबसे पहला कारण यह गिनाया जाता है कि इससे बना कपड़ा अपनी लागत के कारण पावरलूम के बने कपड़े से बहुत ज्यादा महंगा होता है। यह सच है, परंतु हथकरघा उद्योग को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाय तो कम लागत में अच्छा कपड़ा उत्पादित किया जा सकता है। प्रारंभिक चरण में भले ही इसकी लागत बहुत ज्यादा नीचे न आ पाये परंतु क्रमिक विकास के साथ हथकरघा उद्योग में आज भी काफी संभावनायें हैं।

इस उद्योग को हतोत्साहित करने के लिये दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि इससे कपड़ा बुनने में काफी समय व्यय होता है। यह तर्क अपनी जगह सही है, परंतु हथकरघे से बने कपड़े की मजबूती और सुंदरता के मुकाबले में पावरलूम का कपड़ा काफी पीछे है। परंतु हैंडलूम में पावरलूम के मुकाबले एक तिहाई निवेश करना पड़ता है। गौरतलब है कि पावरलूम की एक इकाई में 15000 रुपयों की निवेश लागत आती है। जाहिर है कि हथकरघे की लागत को देखते हुए इसे स्वरोजगार का बेहतर विकल्प बनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हथकरघा उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा विगत वर्ष ही कर दी थी। परंतु यह घोषणा तभी साकार रूप ले सकती हैं जबकि इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों को भी स्वीकार किया जाय। बुनकर उद्योग और उद्यमियों की कई समस्याएं हैं। हाल ही की बात है जब वाराणसी के एक बुनकर दंपत्ति ने अपनी तीन बेटियों की दु:खद हत्या कर दी क्योंकि वह गरीबी से काफी तंग आ चुका था, और बहुत हताश हो चुका था। लेकिन विदर्भ और आंध्र के कपास के किसानों की आत्महत्याओं की भांति समाचार जगत में बुनकरों की समस्याओं को सुर्खियां नहीं मिल पायीं। बनारसी साड़ियों, पश्मीना शॉलों, कालीनों आदि के बारे में अतुल्य भारत अभियान के तहत् विभिन्न टीवी चैनलों और पत्र-पत्रिकाओं में सिने जगत के नामी-गिरामी अभिनेता, विभिन्न राज्यों के प्रचार अभियान को बढ़ावा देते हुए प्राय: दिख जाते हैं, परंतु इनको बनाने वाले-बुनने वाले बुनकरों की फाकेहाली पर कोई कभी कुछ नहीं बोलता है। हालात यह हैं कि अनेक बुनकरों को रहने के लिये ढंग का ठौर-ठिकाना तक मयस्सर नहीं है। दरअसल हैंडलूम के कद्रदान तो कई हैं परंतु बुनकरों के फिक्रमंदों की सूची बहुत छोटी है। कालीन उद्योग तो बच्चों से बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी के लिये काफी बदनाम है। अनेक बार कई बाल संरक्षण संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं ने सैकड़ों बच्चों को कालीन उद्योग में बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया।

फिलहाल यदि हम केवल कपड़ा उद्योग की ही बात करें तो वहां भी हालात काफी अच्छे नहीं हैं। यह बात अलग है कि वहां बाल मजदूरी या बालश्रम का स्वरुप हटकर है। हथकरघा व्यवसाय से जुड़े लोग पालियों में काम करते हैं। परिवार के लोग ही मिलकर बारी-बारी से अपनी हथकरघा इकाईयों पर पाली में काम करते हैं। जो काम कर चुके वो सो जाते हैं और फिर जो सदस्य जाग चुके वे काम पर जुट जाते हैं। तीन-तीन पालियों में काम करने के बावजूद बुनकर परिवारों की औसत आय केवल 3050 रुपया मासिक है। सरकारी स्तर से चलायी गयीं तमाम कल्याणकारी योजनाओं का इन्हें नाममात्र लाभ मिला हो तो मिला हो अन्यथा बुनकरों की हालत में विगत दो दशकों के दौरान निरंतर गिरावट आती रही है। किसानों की भांति बुनकरों की इस खास्ता हालत के जिम्मेदार भी बिचौलिये ही हैं। यही कारण है कि परंपरागत तौर पर इस काम को करने वाले जुलाहे अब दूसरे कामों की ओर रूख कर रहे हैं। परंतु इस बदले हुए परिवेश का एक सकारात्मक पहलू यह है कि पुरुष बुनकरों की गैरमौजूदगी में उन घरों की महिलाएं हथकरघों को संभाल रही हैं। हालांकि इस बीच हथकरघों की संख्या में गिरावट आयी है परंतु काम करने वाले हाथों की संख्या में उस दर से गिरावट नहीं आयी है। आज भी सवा दो करोड़ लोग हथकरघा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के आयोजन के मौके पर प्रधानमंत्री ने विगत 2012, 13, और 14 के लिये अच्छा प्रदर्शन करने वाले बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय पुरुष्कार प्रदान करने की भी घोषणा की। परंतु इन पुरुष्कारों की स्थापना की सार्थकता तभी होगी, जबकि बुनकरों की समस्याओं के निदानों को भी प्राथमिकता से लिया जायेगा। क्योंकि गरीबी दूर करने की, हर हाथ को काम की, अच्छी-सस्ती शिक्षा की, अच्छे इलाज की घोषणाएं और बातें तो आजादी के बाद से जारी हैं परंतु वास्तविकता आज सबके सामने है। ●

गन्ने की खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां

वर्तमान में देश के गन्ना उत्पादक प्रांतों में लगभग 32 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जा रही है। इस प्रकार भारत में लगभग 57 टन गन्ना प्रति हेक्टेयर उत्पादित हो रहा है।

मदन जलाल

विश्व में जितने क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है, उसका आधा भारत में है। परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में देश काफी पीछे है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना ब्राजील में पैदा किया जाता है, वह लगभग 65 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन करता है। इसके बाद भारत का स्थान है जो लगभग 35 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन कर रहा है। तीसरे क्रम पर चीन है जो वर्तमान में 12.5 करोड़ टन गन्ना उत्पादित कर रहा है। दुनिया पर अपनी चौधराहट जमाने वाला संयुक्त राज्य अमरीका लगभग 2.75 करोड़ टन गन्ने के उत्पादन के साथ दसवें स्थान पर है। पड़ोसी देश पाकिस्तान का लगभग 6.4 करोड़ टन गन्ने के उत्पादन के साथ पांचवा स्थान है। वर्तमान में देश के गन्ना उत्पादक प्रांतों में लगभग 32 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जा रही है। इस प्रकार भारत में लगभग 57 टन गन्ना प्रति हेक्टेयर उत्पादित हो रहा है।

गन्ना भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है। भारत में गन्ने की दो फसलें ली जाती हैं एक शरदकालीन तथा दूसरी ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन गन्ने की पिछली फसल जुलाई के दूसरे पखवाड़े में और अगस्त के प्रथम पखवाड़े में लगायी जाती है।

भौगोलिक स्थितियां:- गन्ने का उत्पादन उष्णआर्द्र कटिबंधीय इलाकों में आसानी से किया जा सकता है। इसके लिये 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान आदर्श माना जाता है। तथा 75 से 120 सेमी तक की वर्षा में इसका उत्पादन काफी अच्छा लिया जा सकता है।

मिट्टी:- इसके उत्पादन के लिये गहरी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। दोमट मिट्टी में भी हालांकि इसकी खेती की जा सकती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा और पंजाब तथा आंशिक उत्तराखंड में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इनमें भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में होने वाले उत्पादन का लगभग 40 फीसदी गन्ना उत्पादित करता है।

सिंचाई और उर्वरक:- यदि हमारे किसान भाई यह जान लें कि गन्ने में कब और कितनी मात्रा में खाद और पानी का इस्तेमाल किया जाय तो वे अपनी उपज को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। देश में जितने क्षेत्र मे गन्ना लगाया जाता है, उसके हिसाब से प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में विश्व के अन्य देशों के मुकाबले हम काफी पीछे हैं। जितने क्षेत्र में गन्ना वर्तमान में लगाया जाता है उसका केवल 43 फीसदी सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यदि सिंचाई सुविधा के मामले में अन्य फसलों से इसकी तुलना की जाय तो गन्ने को केवल 0.5 प्रतिशत सिंचाई का पानी मिल पाता है। वर्तमान में देश के कुल गन्ना उत्पादन रकबे का 34.6 फीसदी पूर्णत: तथा 65.4 फीसदी आंशिक रूप से सिंचित है। गन्ने को प्रतिमाह औसतन तीन सिचाईयों की आवश्यकता होती है। ग्रीष्मकाल में सूखे की स्थिति में चार सिंचाई तक करनी पड़ सकती हैं।

प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि भूमि की जलधारिता के अनुसार औसतन 60 प्रतिशत क्षेत्र क्षमता (फील्ड कैपेसिटी) गन्ने के उत्पादन के लिये अति उत्तम मानी जाती है। किसान भाईयों को ध्यान रखना चाहिये कि ज्यादा मात्रा में पानी देने से उर्वरक आदि बह जाते हैं। सिंचाई हमेशा सपाट विधि से या क्यारियां बनाकर करनी होती है।

गन्ना फसल के लिये नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। पोटाश और फास्फोरस का इस्तेमाल मिट्टी की जांच के उपरांत आवश्यकतनुसार करना चाहिये। गन्ने की अच्छी उपज लेने के लिये नाइट्रोजन उर्वरक 150 से 180 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिये। नाइट्रोजन की मात्रा का 1/3 भाग या ज्यादा कमी होने पर 60 से 80 किग्रा फास्फोरस और 40 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेअर की दर से गन्ने की बुआई के पूर्व कूंड़ों में डालना चाहिये। नाइट्रोजन के 2/3 भाग को दो बराबरा हिस्सों में बांटकर व्यांतकाल से पूर्व खेत में डालना चाहिये। यदि भूमि में सूक्ष्म तत्वों- जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम गंधक आदि की कमी हो तो उनका प्रयोग भी परीक्षणोपरांत किया जा सकता है।

गन्ने की उन्नत किस्में:- गन्ने की उन्नत किस्मों में निम्नलिखित प्रमुख हैं:-

(1) सैकेरम आफिजिनेरम- यह मूल कृष्ट जातियों में से है तथा इसमें सुक्रोस से भरपूर होती है। इसके वृंत कम रेशेदार और साफ-सुथरे व लंबे होते हैं। हॉलैण्ड के वैज्ञानिकों के अनुसार यह गन्ने की एक उत्कृष्ट किस्म है। यह चूसने के लिये भी खासी लोकप्रिय किस्म है।

(2) सैकेरम साइनेन्स- यह चीन के गन्ने के रूप में जाना जाता है तथा सुक्रोस की मात्रा कम पायी जाती है तथा रेशा और स्टार्च ज्यादा होता है। इस गन्ने का मूल जन्म स्थान दक्षिण-पूर्व चीन है। यह पतले वृंत का लंबी पोरियों वाला तथा संकुचित पत्तियों से युक्त किस्म है। इसकी ऊबा प्रजाति की खेती अनेक देशों में की जाती है। वर्तमान में इसको व्यापारिक खेती के लिये ज्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता है।

(3) सैकेरम बार्बेरी- यह उपोष्ण कटिबंधीय मौसम की जाति का गन्ना है। इसका मूलस्थान भारत है। चीनी, गुड़, खांड आदि मीठे उत्पादों के लिये इसका देश में भारी पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। यह रोग प्रतिरोधी जाति है तथा इसमें सुक्रोस और रेशा पर्याप्त होता है और यह निम्न तापमान, दोषपूर्ण मिट्टी व जलाक्रांत

स्थितियों के लिये अधिक सहिष्णु मानी जाती है।

(4) सैकेरम रोबस्टम- यह मूलरूप से न्यूगिनी द्वीप समूह का गन्ना है। इसके वृंत लम्बे, मोटे और बढ़ने में काफी प्रगतिशील होते हैं। यह रेशेदार परंतु शर्करा की मात्रा इसमें कम होती है। इसे जंगली प्रजाति माना जाता है तथा व्यावसायिक उत्पादन के लिये कम उपयोगी माना जाता है।

(5) सैकेरम स्पान्टेनियम- गन्ने की यह जाति जंगली मानी जाती है, इसकी आकारिकी में पर्याप्त परिवर्तनशीलता पायी गयी है। सामान्यत: इसका वृंत पतला तथा छोटा होता है और पत्तियां संकुचित एवं कठोर होती हैं। इसकी खासियत है कि यह अनेक रोग प्रतिरोधी जाति है। परंतु इसमें सुक्रोस की मात्रा कम होने के कारण इसका व्यावसायिक उत्पादन कम ही किया जाता है, परंतु रोगों के प्रति प्रतिरोधी होने के चलते इससे संकर प्रजातियों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

प्रमुख गन्ना अनुसंधान केंद्र:- भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे, चीनी प्रोद्यौगिकी मिशन नयी दिल्ली, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर आदि गन्ना अनुसंधान के प्रमुख केंद्र हैं।

कीट एवं रोग:- गन्ने को प्रमुखत: पाइरिला नामक कीट से खासा नुकसान पहुंचता है। इसकी रोकथाम के लिये रासायनिक और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिये। ●

गन्ना किसानों की समस्याएं जस की तस

■ **कृषि चौपाल**

गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलायी गयी बैठक बेनतीजा रही और इसी के साथ चीनी उद्योग के दलदल में फंसते जाने का अंदेशा और गहरा गया। चीनी उद्योग की खस्ता हालत और किसानों के बकाया के भुगतान को प्रधानमंत्री ने स्वयं संज्ञान में लेते हुए अपने संबंधित मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों के साथ दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक आहूत की, जिसमें चीनी का निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशने पर भी व्यापक विचार विमर्श हुआ। गौरतलब है कि पूरे देश में विभिन्न चीनी मिलों पर गन्न किसानों का 17,300 करोड़ रुपया बकाया हो चुका है।

गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा भुगतान किये जाने के मामलों में अक्सर लटकाये रखा जाता है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक सूबा उत्तर प्रदेश है, जहां शासन-प्रशासन की अदूरदर्शी नीतियों के कारण चीनी उद्योग गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद गन्ना उत्पादन में क्रमश: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब खास तौर से जाने जाते हैं। चीनी मिलों और चीनी उद्योग पर भारत के सात प्रमुख चीनी उद्योग समूहों का एकाधिकार है। इनमें से अनेक उद्योग समूह राजनीतिक हस्तियों के प्रत्यक्ष-परोक्ष नियंत्रण में हैं। समूचे देश में चीनी उद्योग से गन्ना किसान सीधे जुड़े हुए हैं। गन्ने का समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष सरकार तय करती है इसके बावजूद गन्ना किसानों को उनके गन्ने का भुगतान चीनी मिलों और उद्योग समूहों द्वारा हमेशा विलंब से किया जाता है। इस बार भी गन्ना किसानों को जारी पेराई सत्र में उनके गन्ने का पूरा भुगतान नहीं हो पाया है जबकि गन्ना पेराई का 2015-16 का सत्र प्रारंभ होने वाला है।

वित्तीय किल्लतों से जूझ रहे चीनी उद्योग और भुगतान न होने से परेशान किसानों की समस्याऐं जस की तस बनी हुई हैं। इसके चलते अगले पेराई सत्र के शुरू होने पर भी आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। उस पर भी विडंबना यह है कि गन्ने के बकाये का भुगतान नहीं करने वाली मिलों के लिए भी गन्ना क्षेत्र का आरक्षण हो रहा है। जाहिर है कि अगले पेराई सत्र में भी गन्ना किसानों का भुगतान बहुत आसानी से होने वाला नहीं है। इसी के चलते अनेक चीनी उद्योग समूहों ने अपनी मिलों में पेराई स्थगित करने का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। सरकार हालांकि चीनी उद्योग की हालत में सुधार करना चाहती है। इसीलिये इस मसले पर मानसून सत्र के दौरान ही अति व्यस्तता के बावजूद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडलीय समूह के संबंधित सहयोगियों के साथ बैठक कर इस मसले की व्यापक समीक्षा की, परंतु बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पायी।

सबसे बुरी हालत उत्तर प्रदेश की है, जबकि यह सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। 2012-13 के दौरान उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा लगभग 1,32,428 हजार मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया गया। वर्तमान में इसी राज्य के किसानों का बकाया भुगतान सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। राज्य के आधा दर्जन प्रमुख चीनी उद्योग समूहों द्वारा गन्ना किसानों का लगभग 50 फीसद भुगतान अभी भी किया जाना बाकी है। राज्य के शासन-प्रशासन पर इन उद्योग समूहों का प्रभाव होने के कारण इन मिलों के खिलाफ सत्ता प्रतिष्ठान सीधी कार्रवाई करने से भी बचता है। खाद्य वस्तुओं के बाजार में चीनी की बिक्री को लेकर इन उद्योग समूहों में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। बाजार के जानकारों का कहना है कि गन्ने के मूल्य के भुगतान में पीछे रहने वाली चीनी मिलों ने इसी प्रतिस्पर्धा के चलते अपनी चीनी निचले भाव पर बेची जिससे कि चीनी का घरेलू बाजार भी खराब हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि जो चीनी मिलें अभी तक अपने चीनी भंडारों का 50 फीसदी से ज्यादा माल बेच चुकी हैं वही भुगतान में पिछड़ रही हैं। जबकि वे चीनी उद्योग समूह जो कि किसानों को 80 फीसदी भुगतान कर चुके हैं अपना स्टॉक कम बेच पाये हैं।

उधर राज्य सरकारें भारी घाटे में चल रही चीनी मिलों पर पेराई जारी रखने का दबाव बना रही हैं। जबकि वर्तमान में अनेक मिले हैं जो मौजूदा पेराई सत्र तो क्या अगले सत्र में भी बमुश्किल भुगतान करने की हालत में हैं। इन मिल मालिकों ने विगत दिनों अपनी मिलों को बंद करने का नोटिस दे दिया था, परंतु राज्य सरकारें इस मामले में कोई स्पष्ट निर्णय लेने की बजाय ढुलमुल नीति अपनाये हुए हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है कि केंद्र सरकार को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेना पड़ा है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों इस मसले पर कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान ने भी अगले पेराई सत्र को लेकर सकारात्मक प्रयासों का आश्वासन दिया था। और अब इस समस्या पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे गन्ना किसानों को सीधे उनके खाते में भुगतान राशि भेजने का तरीका तलाश करें। इस बैठक में जून 2015 के दौरान गन्ना किसानों हेतु केंद्र सरकार द्वारा आवंटित 6000 करोड़ रुपये की राशि से जुड़ी प्रगति की भी समीक्षा की गयी। श्री मोदी ने इस मसले पर भविष्य में दुबारा बैठक किये जाने की बात कही और गन्ना किसानों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए चीनी उद्योग से जुड़ी समस्याओं की नियमित समीक्षा किये जाने का विचार व्यक्त किया। ●

मवेशियों की नस्ल और चुनाव

दुग्ध व्यवसाय ने आज डेयरी उद्योग का रूप ले लिया है। हमारे देश में पायी जाने वाली गाय और भैंस की कई नस्लें काफी दुधारू मानी गयी हैं। इन प्रजातियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये देश के भौगोलिक और जलवायविक मिजाज के हिसाब से उपलब्ध हैं।

■ **कृषि चौपाल**

भारत में एक बार फिर 'श्वेत-क्रांति' की चर्चा हो रही है। खेती-किसानी जैसे-जैसे सिमट रही है उसी अनुपात में पशुपालन भी घट रहा है। आज भारत की 60 प्रतिशत आबादी दूध और उससे बनने वाले अन्य खाद्य पदार्थों के लिए डेयरियों पर निर्भर है। दूध और उससे बनने वाले खाद्य पदार्थों का आज एक विशाल बाजार विकसित और स्थापित हो चुका है। दूध के दही, मक्खन, घी, छाछ, पनीर आदि अनेक रूपों में ये खाद्य पदार्थ प्रसंस्करित उद्योग का एक बड़ा हिस्सा बन गये हैं। इन पदार्थों के निर्माण के लिए भारी पैमाने पर दूध की आवश्यकता होती है। दुग्ध व्यवसाय ने आज डेयरी का रूप ले लिया है। हमारे देश में पायी जाने वाली गाय और भैंस की कई नस्लें काफी दुधारू मानी गयी हैं। इन प्रजातियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये देश के भौगोलिक और जलवायविक मिजाज के हिसाब से उपलब्ध हैं। जैसे कि साहीवाल नस्ल की गायें गुजरात और सिंध में अधिक कामयाब हैं तो थारपारकर नस्ल की गायें शुष्क इलाकों जैसे राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में ज्यादा सफलतापूर्वक पाली जा सकती हैं। किसान भाइयों को अपने क्षेत्र की भौगोलिकता और जलवायविक परिस्थितियों के अनुसार दुधारू पशुओं का चयन करना चाहिए। नीचे प्रमुख नस्लों की जानकारी दी जा रही है-

साहीवाल

- यह नस्ल मुख्यत: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार व मध्य प्रदेश में पायी जाती है।
- दुग्ध उत्पादन- ग्रामीण स्थितियों में 1350 किलोग्राम
- व्यावसायिक फार्म की स्थिति में- 2100 किलोग्राम
- प्रथम प्रजनन की उम्र - 32-36 महीने
- प्रजनन की अवधि में अंतराल - 15 महीने

गीर

- गाय की यह प्रजाति दक्षिण काठियावाड़ के गीर जंगलों में पायी जाती है।
- दुग्ध उत्पादन- ग्रामीण स्थितियों में- 900 किलोग्राम
- व्यावसायिक फार्म की स्थिति में- 1600 किलोग्राम

थारपारकर

- मुख्यत: जोधपुर, कच्छ व जैसलमेर में पायी जाती है।
- दुग्ध उत्पादन- ग्रामीण स्थितियों में- 1660 किलोग्राम
- व्यावसायिक फार्म की स्थिति में- 2500 किलोग्राम

करन फ्राइ

करण फ्राइ का विकास राजस्थान में पाई जाने वाली थारपारकर नस्ल की गाय में होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल के सांड के वीर्याधान द्वारा किया गया। करन फ्राइ नस्ल की गायें साल भर में लगभग 3000 से 3400 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती हैं। इनके दूध उत्पादन की अवधि साल में 320 दिन की होती है। अच्छी तरह और पर्याप्त मात्रा में हरा चारा और संतुलित सांद्र मिश्रित आहार उपलब्ध होने पर इस नस्ल की गायें प्रतिदिन 15-20 लीटर दूध देती हैं। दूध का उत्पादन बच्चे देने के 3-4 महीने की अवधि के दौरान प्रतिदिन 25-30 लीटर तक होता है।

लाल सिंधी

- मुख्यत: पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिल नाडु, केरल व उड़ीसा में पायी जाती है।
- दुग्ध उत्पादन- ग्रामीण स्थितियों में- 1100 किलोग्राम
- व्यावसायिक फार्म की स्थिति में- 1900 किलोग्राम

दुधारू व जुताई कार्य में प्रयुक्त नस्लें

ओन्गोले

- गाय की यह नस्ल मुख्यत: आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर कृष्णा, गोदावरी व गुन्टूर जिलों में मिलती हैं।
- दुग्ध उत्पादन- 1500 किलोग्राम
- इस नस्ल के बैल शक्तिशाली होते हैं व बैलगाड़ी खींचने तथा भारी हल चलाने के काम में उपयोगी होते हैं।

हरियाणा

- मुख्यत: हरियाणा के करनाल, हिसार व गुड़गांव जिलों में तथा दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गाय की यह नस्ल मिलती है।
- दुग्ध उत्पादन- 1140 से 4500 किलोग्राम
- इस नस्ल के बैल शक्तिशाली होते हैं।

बैलगाड़ी आदि परिवहन के काम में तथा भारी हल चलाने के काम में उपयोगी होते हैं।

कांकरेज

- यह नस्ल मुख्यत: गुजरात में मिलती है।
- दुग्ध उत्पादन- ग्रामीण स्थितियों में 1300 किलोग्राम। व्यावसायिक फार्म की स्थिति में 3600 किलोग्राम
- इस प्रजाति के बैल शक्तिशाली, सक्रिय तथा तेज होते है। हल चलाने व परिवहन के लिये उपयोग में लाये जाते हैं।

देओनी

इस नस्ल की गाय मुख्यत: आंध्र प्रदेश के उत्तर दक्षिणी व दक्षिणी भागों में मिलती है। गाय दुग्ध उत्पादन के लिये अच्छी होती है तथा बैल कृषि के काम के लिये सही होते हैं।

जुताई कार्य में प्रयुक्त नस्लें

अमृत महल

इस नस्ल की गाय मुख्यत: कर्नाटक में पाई जाती है। हल चलाने व आवागमन कार्यों के लिये इस नस्ल के बैल अच्छे माने जाते हैं।

हल्लीकर

यह नस्ल मुख्यत: कर्नाटक के टुमकुर, हासन व मैसूर जिलों में पाई जाती है।

खिल्लार

यह नस्ल मुख्यत: तमिलनाडु के कोयम्बटूर, इरोडे, नमक्कल, करूर व डिंडिगल जिलों में मिलती है। हल चलाने व आवागमन हेतु आदर्श तथा विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हैं।

डेयरी नस्लें

जर्सी

- प्रथम बार प्रजनन की उम्र- 26-30 महीने
- प्रजनन की अवधि में अंतराल- 13-14 महीने
- दुग्ध उत्पादन- 5000-8000 किलोग्राम
- डेयरी नस्ल की गायें रोजाना 20 लीटर दूध देती हैं जबकि संकर नस्ल की जर्सी 8 से 10 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। भारत में इस नस्ल को मुख्यत: गर्म व आर्द्र क्षेत्रों में सही पाया गया है।

होल्स्टीन फ्रीजियन

- यह नस्ल मूलत: हॉलैंड की है।
- दुग्ध उत्पादन- 7200-9000 किलोग्राम
- यह नस्ल दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सबसे उम्दा नस्ल मानी गई है। औसतन यह प्रतिदिन 25 लीटर दूध देती है। जबकि एक संकर नस्ल की गाय 10 से 15 लीटर दूध देती है। डेयरी फार्म के लिए यह नस्ल बहुत अच्छी मानी गयी है।
- यह तटीय व डेल्टा भागों में भी अच्छी तरह से रह सकती है। ●

मवेशियों में खुर और मुख संबंधी बीमारियां

खुर और मुख की बीमारियां, खासकर फटे खुर वाले पशुओं में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है जिनमें शामिल है भैंस, भेड़, बकरी व सूअर। ये बीमारी भारत में काफी पाई जाती है व इसके चलते किसानों को काफी अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ती है क्योंकि पशुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध है व बीमार पशुओं से उत्पादन कम होता है।

लक्षण क्या हैं?

- बुखार
- दूध में कमी
- पैरों व मुख में छाले तथा पैरों में छालों के कारण थनों में शिथिलता
- मुख में छालों के कारण झागदार लार का अधिक मात्रा में आना

बीमारी कैसे फैलती है?

- ये वायरस इन प्राणियों के उत्सर्जन व स्राव से फैलते हैं जैसे लार, दूध व जख्म से निकलने वाला द्रव।
- ये वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा द्वारा फैलता है व जब हवा में नमी ज्यादा होती है तब इसका प्रसार और तेजी से होता है।
- ये बीमारी बीमार प्राणियों से स्वस्थ प्राणियों में भी फैलती है व इसका कारण होता है घूमने वाले जानवर जैसे श्वान, पक्षी व खेतों में काम करने वाले पशु।
- संक्रमित भेड़ व सूअर, इन बीमारियों के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाते है।
- संकर नस्ल के मवेशी स्थानीय नस्ल के मवेशियों से जल्दी संक्रमण पाते हैं।
- ये बीमारियां, पशुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन से भी फैलती है।

इसके पश्चात प्रभाव क्या है?

- बीमार जानवर बीमारियों के प्रति, उर्वरता के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण उनमें बीमारियां जल्दी होती है व प्रजनन क्षमता घट जाती है।

इस प्रसार को कैसे रोका जाए?

- स्वस्थ प्राणियों को संक्रमित क्षेत्रों में नहीं भेजा जाना चाहिये।
- किसी भी संक्रमित क्षेत्र से जानवरों की खरीदारी नही की जानी चाहिये
- नये खरीदे गए जानवरों को अन्य जानवरों से 21 दिन तक दूर रखना चाहिये

उपचार

- बीमार जानवरों का मुख और पैर को एक प्रतिशत पोटैशियम परमैंगनेट के घोल से धोया जाना चाहिये। इन जख्मों पर एन्टीसेप्टिक लोशन लगाया जा सकता है।
- बोरिक एसिड ग्लिसरिन पेस्ट को मुख में लगाया जा सकता है।
- बीमार प्राणियों को पथ्य आधारित आहार दिया जाना चाहिये व उन्हें स्वस्थ प्राणियों से अलग रखा जाना चाहिये।

टीकाकरण

सभी जानवरों को, जिन्हें संक्रमण की आशंका है, प्रति 6 माह में एफएमडी के टीके लगाए जाने चाहिये। ये टीकाकरण कार्यक्रम मवेशी, भेड़, बकरी व सूअर, सभी के लिये लागू है।

बछड़ों को प्रथम टीकाकरण 4 माह की उम्र में दिया जाना चाहिये और दूसरा टीका 5 महीने की उम्र में। इसके साथ ही 4-6 माह में बूस्टर भी दिया जाना चाहिये। ●

ग्रामीण भंडारण योजना

ग्रामीण गोदाम के निर्माण की परियोजना देशभर में व्यक्तियों, किसानों, कृषक, उत्पादक समूहों, प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, कम्पनियों, निगमों, सहकारी संगठनों, परिसंघों और कृषि उपज विपणन समिति द्वारा शुरू की जा सकती है।

■ कृषि चौपाल

यह सर्वविदित है कि छोटे किसानों की आर्थिक सामर्थ्य इतनी नहीं होती कि वे बाजार में अनुकूल भाव मिलने तक अपनी उपज को अपने पास रख सकें। देश में इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती रही है कि कृषक समुदाय को भंडारण की वैज्ञानिक सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि उपज की हानि और क्षति रोकी जा सके और साथ ही किसानों की ऋण संबंधी जरूरतें पूरी की जा सकें। इससे किसानों को ऐसे समय मजबूरी में अपनी उपज बेचने से रोका जा सकता है जब बाजार में उसके दाम कम हों। ग्रामीण गोदामों का नेटवर्क बनाने से छोटे किसानों की भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इससे वे अपनी उपज उस समय बेच सकेंगे जब उन्हें बाजार में लाभकारी मूल्य मिल रहा हो और किसी प्रकार के दबाव में बिक्री करने से उन्हें बचाया जा सकेगा। इसी बात को ध्यान में रख कर 2001-02 में ग्रामीण गोदामों के निर्माण/जीर्णोद्धार के लिए ग्रामीण भंडार योजना नाम का पूंजी निवेश सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया गया था।

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में कृषि उपज और संसाधित कृषि उत्पादों के भंडारण की किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुषंगी सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण, कृषि उपज के बाजार मूल्य में सुधार के लिए ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना, वायदा वित्त व्यवस्था और बाजार ऋण सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई के तत्काल बाद संकट और दबावों के कारण फसल बेचने की किसानों की मजबूरी समाप्त करना, कृषि जिन्सों के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरूआत करते हुए देश में कृषि विपणन ढांचा मजबूत करना शामिल है। इसके जरिए निजी और सहकारी क्षेत्र को देश में भंडारण ढांचे के निर्माण में निवेश के लिए प्रेरित करते हुए, कृषि क्षेत्र में लागत कम करने में मदद की जा सकती है। ग्रामीण गोदाम के निर्माण की परियोजना देशभर में व्यक्तियों, किसानों, कृषक/उत्पादक समूहों, प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, कम्पनियों, निगमों, सहकारी संगठनों, परिसंघों और कृषि उपज विपणन समिति द्वारा शुरू की जा सकती है।

स्थान

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमी को इस बात की आजादी है कि वह अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार किसी भी स्थान पर गोदाम का निर्माण कर सकता है। परंतु गोदाम का स्थान नगर निगम क्षेत्र की सीमाओं से बाहर होना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रोन्नत फूड पार्कों में बनाए जाने वाले ग्रामीण गोदाम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

आकार

गोदाम की क्षमता का निर्णय उद्यमी द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता 100 टन से कम और 30 हजार टन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50 टन क्षमता तक के ग्रामीण गोदाम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष मामले के रूप में सब्सिडी के पात्र हो सकते हैं, जो व्यवहार्यता विश्लेषण पर निर्भर करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता के आकार वाले ग्रामीण गोदाम भी सब्सिडी के हकदार होंगे। स्थान, आकार और क्षमता को इस प्रकार दिया जा सकता है-

लोकेशन, आकार और क्षमता

- गोदाम नगर निगम क्षेत्र की सीमा के बाहर होना चाहिए।

- न्यूनतम क्षमता: 50 मीट्रिक टन
- अधिकतम क्षमता: 10,000 मीट्रिक टन
- गोदाम की ऊंचाई: 4-5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए
- गोदाम की क्षमता: 1 क्यूबिक मीटर

वैज्ञानिक भंडारण के लिए शर्तें

कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित गोदाम इंजीनियरी अपेक्षाओं के अनुरूप ढांचागत दृष्टि से मजबूत होने चाहिए और कार्यात्मक दृष्टि से कृषि उपज के भंडारण के उपयुक्त होने चाहिए। उद्यमी को गोदाम के प्रचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करना पड़ सकता है, बशर्ते राज्य गोदाम अधिनियम या किसी अन्य सम्बद्ध कानून के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो। 1000 टन क्षमता या उससे अधिक के ग्रामीण गोदाम केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) से प्रत्यायित होने चाहिए। वैज्ञानिक भण्डारण हेतु अपनाई जाने वाली पूर्व शर्तों को संक्षेप में यहां नीचे दिया गया है-

1. सीपीडब्ल्यूडी/ एसपीडब्ल्यूडी के विनिदेशानुसार निर्माण।
2. कीटाणुओं से सुरक्षा (अस्थाई सीढ़ियों के साथ ऊंचा पक्का प्लेटफॉर्म चूहारोधक व्यवस्था सहित)।
3. पक्षियों से सुरक्षा जाली वाली खिड़कियां/ रोशनदान।
4. प्रभावी धूम्रीकरण फ्यूमीगेशन के लिए दरवाजों, खिड़कियों की वायु अवरोधकता।
5. गोदाम कॉम्पलेक्स में निम्न सुविधाएं होनी चाहिए।
6. सुगम पक्की सड़क।
7. पक्की आंतरिक सड़कें।
8. जल निकासी की समुचित व्यवस्था।
9. अग्नि शमन/सुरक्षा व्यवस्था।
10. सामान लादने/उतारने की उचित व्यवस्था।

ऋण से सम्बद्ध सहायता

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी संस्थागत ऋण से सम्बद्ध होती है और केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए दी जाती है जो वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों, कृषि विकास वित्त निगमों, शहरी सहकारी बैंकों आदि से वित्त पोषित की गई हों। कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी गोदाम के प्रचालन के लिए कार्यात्मक दृष्टि से अनुषंगी सुविधाओं जैसे चाहर दिवारी, भीतरी सड़क, प्लेटफॉर्म, आंतरिक जल निकासी प्रणाली के निर्माण, धर्मकांटा लगाने, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, वेयरहाउसिंग सुविधाओं सहित गोदाम निर्माण की पूंजी लागत पर दी जाती है।

वायदा ऋण सुविधा

इन गोदामों में अपनी उपज रखने वाले किसानों को उपज गिरवी रख कर वायदा ऋण प्राप्त करने का पात्र समझा जाएगा। वायदा ऋणों के नियम एवं शर्तों, ब्याज दर, गिरवी रखने की अवधि, राशि आदि का निर्धारण रिजर्व बैंक, नाबार्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य बैंकिंग पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा।

बीमा

गोदाम के बीमे की जिम्मेदारी गोदाम के मालिक की होगी।

सब्सिडी

सब्सिडी की दरें निम्न प्रकार होंगी-

1) अजा/अजजा उद्यमियों और इन समुदायों से सम्बद्ध सहकारी संगठनों तथा पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के मामले में परियोजना की पूंजी लागत का एक तिहाई (33.33 प्रतिशत) सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये होगी।

2) किसानों की सभी श्रेणियों, कृषि स्नातकों और सहकारी संगठनों से सम्बद्ध परियोजना की पूंजी लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ रुपये होगी।

3) अन्य सभी श्रेणियों के व्यक्तियों, कंपनियों और निगमों आदि को परियोजना की पूंजी लागत का 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा1.35 करोड़ रुपये होगी।

4) एनसीडीसी की सहायता से किए जा रहे सहकारी संगठनों के गोदामों के जीर्णोद्धार की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

5) कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी के प्रयोजन के लिए परियोजना की पूंजी लागत की गणना निम्न प्रकार की जाएगी-

क) 1000 टन क्षमता तक के गोदामों के लिए वित्त प्रदाता बैंक द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत यो 3500 रुपये प्रति टन भंडारण क्षमता की दर से आने वाली लागत, इनमें जो भी कम हो।

ख) 1000 टन से अधिक क्षमता वाले गोदामों के लिए- बैंक द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या 1500 रुपये प्रति टन की दर से आने वाली लागत, इनमें जो भी कम हो। वाणिज्यिक या सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में सब्सिडी नाबार्ड के जरिए जारी की जाएगी। यह राशि वित्तप्रदाता बैंक के सब्सिडी रिजर्व निधि खाते में रखी जाएगी और कर से मुक्त होगी। ●

NEW INDIA ASSOCIATES

OUR SERVICES

- Life Insurance/LIC Credit Card
- Car/Home Insurance
- Mediclaim
- Property Sale, Purchase & Renting at Delhi/NCR, Uttarakhand

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

RELIANCE General Insurance

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

NARENDRA SINGH BISHT
S-557, Ist Floor, Hira Complex, School Block, Shakarpur, Delhi-110092
Ph: 9810369331, 9717494411, 011-22484945
E-mail: anjal2006@gmail.com

खेतीबाड़ी के लिए बैंकिंग सुविधा

■ कृषि चौपाल

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें कृषि एक प्रमुख क्षेत्र है, को उचित ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया कि कृषि क्षेत्र में ऋण आवंटन को प्राथमिकता दें। पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए विशेष बजट आवंटन के मद्देनजर किसानों पर निर्भर है कि वे बैंको द्वारा प्रदत्त योजना से किस हद तक लाभ उठाते हैं। यहां कुछ राष्ट्रीय बैंकों की ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

- कृषि गोल्ड ऋण।
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)।
- उत्पादन विपणन ऋण।
- किसान गोल्ड कार्ड योजना।
- एग्री क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केंद्रों की स्थापना।
- भूमि खरीद योजना।
- ट्रैक्टर ऋणों के लिए स्कॉरिंग मॉडल।
- पुराने/उपयोग किए गए ट्रेक्टरों की खरीद योजना।
- पावर टिलर्स वित्तीयन।
- कंबाइन हार्वेस्टर के लिए वित्त।
- मूर्त संपत्ति बनाने वाली फार्म मशीनरी के लिए वित्त पोषण की योजना।
- डेयरी इकाइयों के वित्तपोषण के लिए डेयरी प्लस योजना।
- डेयरी समितियों के वित्तपोषण के लिए डेयरी सोसायटी प्लस योजना।
- ब्राइलर प्लस।
- जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के अंतर्गत सामान्य उद्देश्यों के लिए ऋण।
- एसबीआई कृषक उत्थान योजना।
- ग्रामीण भण्डारण योजना-ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण के लिए पूंजी निवेश अनुदान योजना।
- किसानों को किराए पर देने के लिए निजी कोल्ड स्टोरेज/निजी गोदाम निर्माण को वित्त प्रदान करने की योजना।
- बीज प्रोसेसर वित्तपोषण के लिए योजना।
- बीज प्रसंस्करण इकाइयों को रेहन ऋण।
- जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत जैविक इनपुट संबंधी वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों के लिए पूंजीगत निवेश अनुदान योजना।
- उधारकर्ताओं के ऋणों की अदला-बदली की योजना।
- आढ़तिया प्लस योजना।
- लघु सिंचाई योजनाएं।
- बागवानी के लिए वित्तपोषण।
- काश्तकार किसानों के संयुक्त देयता समूहों का वित्त पोषण।
- माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई)/ गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के लिए वित्त पोषण की योजना।
- संजीवनी।
- कृषि कल्याण।
- जैविक खेती के लिए वित्त पोषण।
- अग्रणी बैंक योजना।
- बिजनेस करोस्पोंडेंट (बीसी) व्यवस्था।
- नई ट्रैक्टर ऋण योजना।

- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)।

इलाहाबाद बैंक
- किसान शक्ति योजना।
- किसान अपनी पसंद के कार्य में ऋण का उपयोग करने की स्वतंत्रता।
- किसी मार्जिन की जरूरत नहीं।
- निजी/घरेलू उद्देश्य के लिए 50 प्रतिशत तक के ऋण राशि का उपयोग किया जा सकता है जिसमें साहूकारों के ऋणों की पुनर्अदायगी भी शामिल होगी।

आंध्रा बैंक
- आंध्रा बैंक किसान ग्रीन कार्ड।
- निजी दुर्घटना बीमा योजना के अधीन सुरक्षा (पीएआईएस)।

बैंक ऑफ बड़ौदा
- शुष्क भूमि कृषि के लिए सेकेण्ड हैण्ड ट्रैक्टर्स खरीद योजना।
- डीलर्स/वितरक/कृषि आगत के व्यापारी/पशुधन के लिए आवश्यक पूंजी।
- कृषि औजारों को किराये पर लेना।
- बागवानी का विकास।
- डेयरी का विकास।
- डेयरी, सुअर पालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन इत्यादि में कार्यरत यूनिटों के लिए कार्यगत पूंजी।
- कृषि औजारों, साधनों, बैलों की जोड़ी, सिंचाई सुविधाओं के सृजन हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों को वित्तीय सहायता।

बैंक ऑफ इंडिया
- स्टार भूमिहीन किसान कार्ड - साझेदारों, काश्तकारी किसानों के लिए।
- किसान समाधान कार्ड - फसल उत्पादन एवं अन्य संबंधित निवेशों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड।
- बैंक ऑफ इंडिया शताब्दी कृषि विकास कार्ड- किसानों के लिए कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड।
- संकर बीज उत्पादन, कपास उद्योग, गन्ना उद्योग इत्यादि में ठेका कृषि के लिए अनुदान
- स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष योजना और महिलाओं को सशक्त बनाना।
- स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एसएसपीएस) - किसानों के लिए उद्यमीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नई पहल।
- फसल ऋण- 7 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष की दर से 3 लाख रुपये तक।

- सहयोजित सुरक्षा- 50 हजार रुपये तक, किसी प्रकार के प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं, परन्तु 50 हजार से ऊपर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन किया जाएगा
- देना बैंक गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं दादरा व नागर हवेली एवं केन्द्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से सक्रिय।

देना किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना
- 10 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा।
- बच्चों की शिक्षा को मिलाकर घरेलू व्यय हेतु 10 प्रतिशत का प्रावधान।
- 9 वर्षों तक दीर्घकालिक पुनर्अदायगी अवधि
- कृषि औजारों, ट्रैक्टरों, फव्वारा सिंचाई पद्धति, ऑयल इंजन, इलेक्ट्रिक पंप सेट जैसे कृषि उपकरण पर निवेश के लिए ऋण की उपलब्धता।
- 7 प्रतिशत ब्याज की दर से 3 लाख रुपये तक अल्पावधि फसल ऋण।
- 15 दिनों के भीतर ऋणों का निपटान।
- 50 हजार रुपये तक कृषि ऋणों के लिए कोई प्रतिभूति नहीं तथा एग्री-क्लीनिक और एग्री बिजनेस ईकाई की स्थापना हेतु 5 लाख रुपये।

इंडियन बैंक
- उत्पादन ऋण - फसल ऋण, चीनी मिल के साथ समझौता और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पट्टेदार, बंटाईदार व मौखिक पट्टेदार को फसल ऋण।
- कृषि संबंधी निवेश ऋण - भूमि विकास, सूक्ष्म व लघु सिंचाई, कृषि कार्यों में मशीन का प्रयोग, रोपाई व बागवानी।
- कृषि संरचित ऋण - किसान बाइक, कृषि विक्रेता बाइक, कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र।
- कृषि विकास के लिए समूह ऋण/उधार - संयुक्त साझेदार समूह या स्व-सहायता समूह को ऋण।
- नवीन कृषि क्षेत्र - ठेका कृषि, जैविक कृषि, ग्रामीण भंडार गृह, कोल्ड स्टोरेज, औषधीय व सुगंधीय पौधे, जैव ईंधन फसल आदि।

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
- ओरिएंटल ग्रीन कार्ड (ओजीसी) योजना।
- कृषि ऋण हेतु कम्पोजिट क्रेडिट योजना।
- शीत भंडारण/गोदाम की स्थापना।
- वित्त पोषण कमीशन एजेंट।

पंजाब नेशनल बैंक
- पीएनबी किसान सम्पूर्ण ऋण योजना।
- पीएनबी किसान इच्छा पूर्ति योजना।
- शीत भंडारण प्राप्तियों की गिरवी के बदले आलू फसलों का उत्पादन।
- स्व-प्रेरित संयुक्त कृषक।
- वन नर्सरी का विकास।
- बंजरभूमि विकास।
- खुखड़ी/मशरूम, झींगापन एवं कुकुरमुत्ता झींगा उत्पादन।
- दुधारू पशुओं की खरीद एवं देखभाल
- डेयरी विकास कार्ड स्कीम।
- मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन हेतु योजना।
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद।
- फसल ऋण एवं कृषि गोल्ड ऋण।
- कृषि उत्पाद का विपणन।
- शीत भंडार/निजी गोदाम।
- लघु सिंचाई एवं कुंआ खुदाई योजना/पुराने

कुंओं के विकास की योजना।
- भूमि विकास वित्त पोषण।
- ट्रैक्टर, पावर टिलर एवं औजारों की खरीद।
- कृषि भूमि/परती/बंजर भूमि की खरीद।
- किसानों के लिए वाहन ऋण।
- ड्रिप सिंचाई एवं छिड़काव।
- स्वयं सहायता समूह।
- एग्री क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र।
- युवा कृषि प्लस योजना।

सिंडीकेट बैंक
- सिंडीकेट किसान क्रेडिट कार्ड (एसकेसीसी)
- सोलर वाटर हीटर योजना
- एग्री क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र

विजया बैंक
- स्वयं सहायता समूहों को ऋण
- विजया किसान कार्ड
- विजया प्लान्टर्स कार्ड
- के. वी. आई. सी. मार्जिन मनी स्कीम- कारीगरों एवं ग्रामीण उद्योग के लिए।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है ताकि जरूरी चीजों की खरीद के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ
- सरल वितरण प्रक्रिया।
- नकद आपूर्ति के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया।
- प्रत्येक फसल के लिए ऋण हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं।
- किसानों के लिए किसी भी समय ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना व किसानों के लिए ब्याज के बोझ को घटाना।
- किसानों की सुविधा और विकल्प के अनुसार खाद और उर्वरक की खरीद करना।
- डीलर से नकद खरीद पर छूट।
- तीन वर्षों तक ऋण सुविधा- हर मौसम में मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं।
- कृषि आय के आधार पर अधिकतम ऋण सीमा को बढ़ाना।
- ऋण सीमा के भीतर कई बार राशि का निकालना संभव।
- फसल कटाई के बाद अदायगी का प्रावधान
- कृषि अग्रिम के अनुसार ब्याज दर लागू।
- कृषि अग्रिम के अनुसार प्रतिभूति, मार्जिन एवं प्रलेखन नियम होंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया

अपने नजदीकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से सम्पर्क कर जानकारी हासिल करें। योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और उन्हें पासबुक दी जाएगी। पासबुक पर किसान का नाम व पता, भूमि जोत का विवरण, उधार सीमा, वैधता अवधि, एक पासपोर्ट आकार का फोटो होगा। यह किसान के लिए पहचान पत्र के साथ-साथ उसकी हैसियत का काम करेगा और लेन-देन का लेखा-जोखा रखेगा। खाते का उपयोग करते समय उधारकर्ता को अपना कार्ड-सह-पासबुक दिखानी होगी। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की भी व्यवस्था है।

किसान क्रेडिट कार्ड देने वाले प्रमुख बैंक
- इलाहाबाद बैंक- किसान क्रेडिट कार्ड।
- आंध्रा बैंक- एबी किसान ग्रीन कार्ड।
- बैंक ऑफ बड़ौदा- बी. किसान क्रेडिट कार्ड।
- बैंक ऑफ इंडिया- किसान समाधान कार्ड।
- केनरा बैंक- किसान क्रेडिट कार्ड।
- कॉर्पोरेशन बैंक- किसान क्रेडिट कार्ड।
- देना बैंक- किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड।
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स- ओरिएंटल ग्रीन कार्ड (ओजीसी)।
- पंजाब नेशनल बैंक- पीएनबी कृषि कार्ड।
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद- किसान क्रेडिट कार्ड।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया- किसान क्रेडिट कार्ड।
- सिंडिकेट बैंक- सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड।
- विजया बैंक- विजया किसान कार्ड।

कृषि चौपाल पत्रिका डाक से मंगाने के लिए सदस्यता फॉर्म

कृपया उचित स्थान पर सही (✓) का निशान लगाएं और अन्य विवरण साफ-साफ अक्षरों में सही-सही भरें।

☐ वार्षिक सदस्यता - 180/- ☐ द्विवार्षिक सदस्यता - 350/- ☐ पंचवार्षिक सदस्यता - 750/-

☐ आजीवन सदस्यता - 5100/- (पत्रिका भारतीय डाक विभाग की सेवा से भेजी जाएगी)

मैं अपना चेक/डिमांड ड्राफ्ट संख्या ..... तिथि ..... / ..... / .....

बैंक व ब्रांच ..... पर आदेशित, रुपये .....

मात्र का (**'कृषि चौपाल'**, दिल्ली के पक्ष में) संलग्न कर रहा हूं।

मेरा विवरण इस प्रकार है:-

नाम .....

पता .....

..... पिन .....

फोन/मोबाइल ..... ई-मेल .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

कृपया ध्यान दें: सदस्यता-फॉर्म के साथ चेक या डिमांड ड्राफ्ट **'कृषि चौपाल'** के नाम देय होगा। चेक या ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता व फोन नंबर अवश्य लिखें। डिमांड ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर- कृषि चौपाल, सी-355, तृतीय तल, गली नं.-9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 के पते पर भेंजे। फोन: +91-991040-6059, ईमेल: E-mail: krishichaupal@gmail.com

AMAN PUBLIC SCHOOL

Aspiring International School
Dhalwala, Rishikesh, Uttarakhand

It is on the steps of an International School for quality education and well planed outdoor activities within nature areas.

At present:

- It is popular among the farming community
- Local employees
- Small businessman and traders
- Migrated people from other states
- We have well educated teaching staff
- Natural and homely environment for young learners

We are making it well-developed, quality-oriented cosmopolitan school without any discrimination. The local population is very much happy and satisfied with the education provided to their children at the very nominal fees. Our school is dedicated to complete development of the students.

Shri U. S. Panwar is a social activists, philanthropist, statesman of national standard. For the last forty years he has been helping needy and helpless people in the country. He has worked and aided several environmental, educational and other development projects in Himachal and Uttarakhand region. All his wit and wisdom is working for building an advanced nation. In Dehradun, his Aman Public School is providing education to poor and helpless children for the past several years.

Contact: 9868101623

RNI REGD. NO.: DELHIN/2007/20953

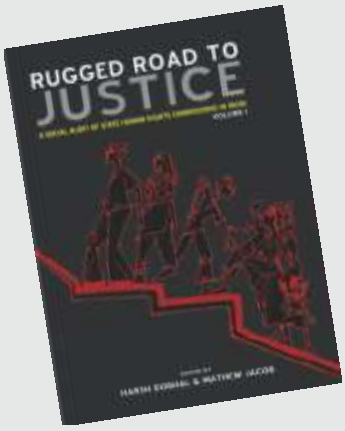

BOOKS

BOOKLETS

MAGAZINES

NEWSLETTERS

BROCHURES

CALENDARS

FOLDERS

POSTERS

A Delhi based Designing, Publishing and Printing service with healthy clients and reputation.

KALPANA PRINTOGRAPHICS
Call us: +91-971640-7931
E-mail: kpgdelhi@yahoo.com
Visit us on Facebook: kalpana printographics